वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं की अनुकमणिका

क.सं.	योजना/नियम/आदेश एवं अन्य विवरण	पृष्ठ संख्या
	वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित अधिनियम/ नियम/परिपत्र	
1	क– माता–पिता व वरिष्ठ नागरिक का भरण–पोषण अधिनियम, 2007	1
2	ख– माता–पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण नियम, 2010 का सारांश	2
3	ग– प्रारूप (आवेदन पत्र)	3
4	घ– अधिसूचना 23 सितम्बर 2008 (अपीलीय अधिकरण एवं उपखण्ड के गठन के संबंध में)	4
5	ड.– माता–पिता से ली गई सम्पत्ति को सन्तान से वापिस लेने बाबत परिपत्र आदेश क्रमांक 72798 दिनांक 19.09.11	5
	वृद्धाश्रम	
6	क–भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम नियम, 2004	6
7	ख–प्रारूप (आवेदन पत्र)	7
8	ग–वृद्धाश्रम योजना	8
9	घ–आवेदन प्रपत्र	9
10	ड.–चिरायु योजना	10
	बचत योजना	
11	क–सावधि जमा योजना	11
12	ख– वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना नियम 2004	12
	पेन्शन योजना	
13	क–सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का संक्षिप्त सारांश	13
14	ख–राजस्थान वृद्धाश्रम पेशन ऑनलाइन आवेदन हेतु आदेश क्रमांक 8947 दिनांक 29.09.17	14
15	ग–पेंशन संशोधन आदेश क्रमांक 5213 दिनांक 11.05.17	15
	राजस्थान पथ परिवहन	
16	क–वरिष्ठ नागरिकों को निगम बसों में यात्रा पर रियायत योजना	16
17	ख–आदेश क्रमांक 538 दिनांक 31.07.13	17
18	ग–आदेश क्रमांक 348 दिनांक 28.04.14	18
19	घ–आदेश क्रमांक 434 दिनांक 20.06.13	19
	अन्य योजना	
20	क–मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना	20
21	ख–दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना	21
22	ग–राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम– 2011 की अनुसूची नियम 5(8)	22
23	घ–केन्द्रीय सेक्टर योजना (वृद्ध व्यक्तियों के जीवन–स्तर में सुधार के लिए)	23
	वरिष्ठ नागरिक के लिए चिकित्सा संबंधित आदेश	
24	क–आदेश क्रमांक 814–914 दिनांक 31.08.07	24
25	ख–आदेश क्रमांक 2007 दिनांक 10.04.07	25
26	ग–आदेश क्रमांक 55–140 दिनांक 06.03.09	26
	अन्य आवश्यक सूची	
27	क–जिले में वृद्धाश्रम एवं डे–केयर संचालित करने वाले एन0जी0ओ0 की सूची	27
28	ख– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिलाधिकारी की सूची	28
29	ग– सरकारी एवं गैर सरकारी वृद्धाश्रम सूची	29
	नालसा वरिष्ठ नागरिक स्कीम–2016	
30	क– नालसा(वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा) योजना, 2016	30
31	ख–नालसा वरिष्ठ नागरिक स्कीम के कियान्वयन हेतु परिपत्र कमांक 534 दिनांक 16.06.2017	31
32	ग–नालसा वरिष्ठ नागरिक स्कीम के तहत् पदनामित विधिक सेवा अधिकारी की सूची	32

वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित अधिनियम/नियम/आदेश

माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007

क्र.सं.	अधिनियम	माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007
1.	अधिनियम का संक्षिप्त परिचय	ऐसे माता–पिता / वरिष्ठ नागरिक, जो स्वंय अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ है, अपनी संतानों या उत्तराधिकारियों से मासिक भत्ता / भरण पोषण देने के लिये उक्त अधिनियम को लागू किया गया।
2.	प्रारम्भ होने का वर्ष	वर्ष–2007
3.	लाभान्वित वर्ग	कोई भी माता–पिता / वरिष्ठ नागरिक जो स्वंय के अर्जन से या उसके स्वामित्वाधीन सम्पति मे से स्वंय का भरण–पोषण करने में असमर्थ हो।(जैविक, दत्तक या सौतेले माता–पिता भी शामिल है)
4.	पात्रता	माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु
5.	देय सुविधाएं	भरण–पोषण में आहार, वस्त्र, निवास और चिकित्सा परिचर्या और उपचार
6.	क्या वाद दायर / आवेदन करने के लिये वकील की आवश्यकता होगी?	नहीं। पीडित व्यक्ति (वृद्वजन) साधा कागज पर अपना वाद / आवेदन पत्र / प्रार्थना पत्र पीठासीन / अपील अधिकारी को स्वंय या अपने प्रतिनिधी के माध्यम से कर सकता हैं।
6.	यदि माता–पिता / वरिष्ठ नागरिक को उसका पुत्र भोजन नहीं देता या उसे घर से निकाल देता है तो वह क्या करें?	माता–पिता / वरिष्ठ नागरिक जिस किसी उपखण्ड क्षेत्र का निवासी है, अपने संबंधित क्षेत्राधिकार वाले पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) के यहॉ वाद दायर कर सकता है। यदि वह चलने फिरने में असमर्थ हो तो स्वंय सेवी संस्था के माध्यम से या अन्य किसी के द्वारा वाद दायर कर सकता है। यदि माता को भत्ता दिया जाता है और पिता को नहीं एवं पिता को भत्ता दिया जाता है और माता को नहीं दिया जाता है तो भी राज्य के सभी उपखण्ड अधिकारी (पीठासीन अधिकारी) को अधिनियम के तहत उक्त शक्तियॉ प्राप्त है।
7.	अपीलीय अधिकारी कौन है?	प्रत्येक जिले का जिला कलेक्टर
8.	भरण–पोषण अधिकतम कितना दिलाया जा सकता है?	पीठासीन अधिकारी व अपीलीय अधिकारी अधिकतम 10,000 / – रूपये प्रतिमाह दिलाया जा सकता है।
9.	भरण–पोषण नहीं करने वाले बच्चों या नातेदारों के खिलाफ दण्डनीय प्रावधान	तीन मास का कारावास या 5,000 / – रूपये का जुर्माना अथवा दोनों किया जा सकता है। * साधारण ब्याज का भी प्रावधान है जो कि 5 प्रतिशत से कम 18 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। * सम्पति कुर्क की जा सकती है और ऐसे माता–पिता को वापस दिलाई जा सकती है।
10.	अपील का समय	अधिकरण के आदेश की तारीख से 60 दिवस के भीतर
11.	अपील के आदेश की प्रति फीस	निःशुल्क
12.	सम्पर्क सूत्र	समस्त जिले के पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) एवं अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर)

माता–पिता व वरिष्ठ नागरिको का भरण–पोषण नियम,2010 का सांराश

वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा माता–पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण नियम, 2010 बनाये गये। नियम 20 द्वारा प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट को शक्तियॉ प्रदान की गयी है एवं उन पर कर्तव्य अधिरोपित किये गये है, जो निम्नलिखित हैः–

जिला मजिस्ट्रेट का कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिशिचत करे किः–

- वरिष्ठ नागरिकों का जीवन और सम्पति सुरक्षित है और वे सुरक्षा और गरिमा के साथ जीवनयापन करने में समर्थ है।
- भरण–पोषण के आवेदन जो कि वरिष्ठ नागरिकगण द्वारा प्रस्तुत किये गये है, का यथासमय और उचित निपटान एवं अधिकरणों के आदेशों की पालना हो रही है अथवा नहीं?
- जिला में संचालित वृद्वाश्रम को निर्धारित मानकों के अनुरूप व नियमों के तहत चलाया जा रहा है या नहीं?
- माता–पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण व कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों का व्यापक प्रचार–चसार किया जा रहा है या नहीं?
- प्राकृतिक आपदाओं व अन्य आपात स्थितियों की दशा में यथा समय वरिष्ठ नागरिकों को सहायता व राहत दी जा रही है अथवा नहीं?
- वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित दर्ज मामलों में थानों और न्यायालयों में यथाशीघ्र की जा रही है अथवा नहीं?
- जिला मुख्यालयों पर वरिष्ठ नागरिकों के लिये समर्पित हैल्पलाईन सुचारू रूप से संचालित हो रही है अथवा नहीं, और यदि हैल्पलाईन स्थापित नहीं हुई है तो इस बाबत् आवश्यक कदम उठाये जायें।

आवेदन का प्रारूप–क

(नियम 4(1)और (3))

अधिनियम की धारा 5(1)(क)और (ख) के अधीन भरण–पोषण के लिए आवेदन

उप–खण्ड.............................

जिला..

1. आवेदन का नाम :

2. पिता/पति का नाम :

3. डाक का पूरा पता :

ग्राम.....................सडक..............................
वार्ड सं...
पुलिस थाना....................................
डाक घर..............................पिन कोड...................
जिला.........................

4. बालक/रिश्तेदारों के नाम जिनसे भरण–पोषण का दावा किया गया है:
5. बालक/रिश्तेदारों का वर्तमान पता :

ग्राम.....................सडक..............................
वार्ड सं...
पुलिस थाना....................................
डाक घर..............................पिन कोड...................
जिला.........................

6. बालक/रिश्तेदारों का स्थाई पता :

ग्राम.....................सडक..............................
वार्ड सं...
पुलिस थाना....................................
डाक घर..............................पिन कोड...................
जिला.........................

7. बालकों/रिश्तेदारों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय :

8. आधार –

9. अनुतोष, जिसके लिए प्रार्थना की गयी है :

10. अन्तरिम प्रार्थना, यदि कोई हो :

आवेदक

सत्यापन

मैं इसके द्वारा सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा किये गये उपरोक्त कथन मेरी निजी जानकारी और विश्वास के आधार पर सत्य हैं और उनके सत्यापन में मैं इसके नीचे अपने हस्ताक्षर करता हूँ।

आवेदक हस्ताक्षर

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

आश्विन 1, मंगलवार, शाके 1930—सितम्बर 23, 2008
Asvina 1, Tuesday, Saka 1930—September 23, 2008

भाग 1 (क)

नियुक्तियां ।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 19, 2008

संख्या एफ. 13 (1) एस. एस./ एस.आर. सिट/एक्ट/08/56394 :-माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (2007 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 56) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन किये गये आवेदनों के न्यायनिर्णयन के लिए राज्य के प्रत्येक उप-खण्ड के लिए इसके द्वारा एक अधिकरण गठित करती है और सम्बन्धित उप-खण्ड के उप-खण्ड अधिकारी को इस प्रकार गठित अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है ।

NOTIFICATION

Jaipur, September 19, 2008

No. F. 13(1)S.S./Sr. Cit./Act/2008/56394.-In exercise of the powers conferred by section 7 of the Maintence and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 (Central Act No. 56 of 2007) the State Government hereby constitutes a Tribunal for each sub-division of the State for adjudication of the applications made under section 5 of the said Act and appoints the Sub-Divisional Officer of the concerned Sub-Division as the Presiding Officers of the Tribunal so constituted.

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 19, 2008

संख्या एफ. 13(1) एस. एस./एसआर. सिट/एक्ट/08/56395:-माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (2007 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 56) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील सुनने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में इसके द्वारा एक अपील अधिकरण गठित करती है और सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट को इस प्रकार गठित अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है ।

NOTIFICATION

Jaipur, September 19, 2008

No. F. 13 (1)S. S./Sr. Cit./Act/2008/56395.- In exercise of the powers conferred by section 15 of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 (Central Act No. 56 of 2007) the State Government hereby

(10)

माता–पिता से ली गई सम्पत्ति को सन्तान से वापिस लेने के संबंध में परिपत्र

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन जी3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

कमांक एफ 13 () सा.सु./वृ.क./सान्याअवि/2011/72798 जयपुर, दिनांक 19.09.11

परिपत्र

राज्य सरकार ने वृद्धजन कल्याण के प्रति कटिबद्धता एवं संवेदनशीलता दर्शाते हुए "केन्द्रीय अधिनियम वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007" को अपनाते हुए "माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम–2010 दिनांक 18 जून 2010" से लागू किया गया है।

उक्त नियम लागू होने के पश्चात भी सरकारी कर्मचारियों, स्वायत्तशाषी संस्थाओं एवं निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखने एवं भरण पोषण नहीं करने से संबंधित काफी शिकायते प्राप्त हो रही हैं। कई बच्चे माता पिता की सम्पत्ति अपने नाम करवाकर वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं कर रहें है।

राजस्थान सरकार माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम, 2010 के नियम 14 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि आवेदक(वरिष्ठ नागरिक) को अधिकरण का पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) अधिकतम, 10,000/– रूपये तक भरण पोषण भत्ता देने का आदेश कर सकता है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले बच्चों के वेतन से भत्ता राशि काटने का प्रावधान है। माता पिता से ली गई सम्पत्ति को भी वापिस लेने का प्रावधान है।

माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 23(1) के अनुसार कुछ परिस्थितियों में सम्पत्ति का अन्तरण शून्य होगा। धारा 23(1) "जहॉं कोई वरिष्ठ नागरिक, जिसने इस अधिनियम के आरंभ के पश्चात् अपनी संपत्ति का दान के रूप में या अन्यथा अंतरण इस शर्त के अधीन रहते हुए किया है कि अंतरिती, अंतरक को बुनियादी सुख–सुविधाएं और बुनियादी भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करेगा और ऐसा अंतरिती ऐसी सुख–सुविधाओं तथा भौतिक आवश्यकतांए प्रदान करने से इंकार करेगा या असफल रहेगा तो संपत्ति का उक्त अंतरण कपट या प्रपीडन या अनावश्यक प्रभाव के अधीन किया गया समझा जाएगा और अंतरक के विकल्प पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जाएगा।"

वरिष्ठ नागरिकों के अधिनियम, 2007 की धारा 11 (2) में आदेश कियान्विति बाबत स्पष्ट वर्णन किया हुआ है, जिसके तहत " इस अधिनियम में दिये गये भरण–पोषण के आदेश का वही बल एवं प्रभाव होगा जो दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के अध्याय–9 के अधीन पारित आदेश का होता है और वह उस संहिता द्वारा ऐसे आदेश के निष्पादन के लिये विहित रीति में निष्पादित किया जावेगा।"

दण्ड प्रकिया संहिता, के अध्याय–9 की धारा 125 एवं अध्याय–32 की धारा 421 एवं सिविल प्रकिया संहिता की धारा 60, 60 (झक)एवं आदेश 21 के नियम 48 एवं 48 (क) में डिकी के निष्पादन में सम्पत्ति कुर्क एवं विकय करने, वेतन से कटौति करने का प्रावधान है।

उपरोक्त महत्वपूर्ण प्रावधानों को पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) भरण पोषण नियम, 2010 के अन्तर्गत आदेश पारित करते समय ध्यान में रखे जावें एवं कर्मचारियों के संबंध में पारित आदेश की प्रति संबंधित विभागध्यक्ष/नियोक्ता को भिजवावें।

अतः वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम, 2010 के प्रावधानों को उपरोक्त मार्गदर्शन के अनुसरण मे प्रभावी ढंग से कियान्वित करावें। इसमें कोई समस्या/कठिनाईयां आ रही हो तो तत्काल विभाग को अवगत करावें।

प्रमुख शासन सचिव

वृद्धाश्रम

भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम नियम, 2004

1.	योजना का नाम	**भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम**
2.	प्रारम्भ किये जाने का वित्तीय वर्ष	2004–05 से लागू है।
3.	योजना का उद्देश्य	निःसहाय/निराश्रित एवं वृद्धों/अशक्त/वृद्ध दम्पति की उचित देखभाल एवं जीवन को उल्लासपूर्ण बनाने हेतु।
4.	योजना में प्रवेश पाने वाले वृद्ध व्यक्तियों की पात्रता	राजस्थान के वृद्ध एवं अशक्त महला/पुरूष जिनकी आयु क्रमशः 55 व 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की निराश्रित, निःसहाय, सन्तानहीन अथवा परित्यक्त वृद्ध महिला/पुरूष प्रवेश पाने के पात्र है।
5.	योजना में मिलने वाले वित्तीय लाभ/सुविधाओं का विवरण	इन केन्द्रों पर वृद्ध एवं अशक्त महिला/पुरूष उनके परिवार से जुडे रहते हुए उनकी आवश्यकता जैसे चिकित्सा सेवा, प्रौढ शिक्षा, धार्मिक स्थलों का भ्रमण एवं निःशुल्क चाय, अल्पाहार, पत्र–पत्रिकायें व मनोरंजन की सुविधायें उपलब्ध कराई जाती है।
6.	योजना के क्रियान्वन का माध्यम	स्वंय सेवी संस्थाओं के माध्यम से।
7.	आवेदन की प्रक्रिया	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिले पर पदस्थापित उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला कलेक्टर एवं स्वंय सेवी संस्थाओं को प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते है।
8.	सम्पर्क अधिकारी	अतिरिक्त निदेशक (सामाजिक सुरक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जिले में पदस्थापित उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं जिला कलेक्टर।
9	आवेदन पत्र	प्रारूप संलग्न है।

भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम नियम, 2004 के अंतर्गत आवेदन पत्र

आवेदन पत्र का प्रारूप

1.	भक्त श्रवण कुमार मित्र (स्वंय सेवी संस्था/संगठन) का नाम	
2.	भक्त श्रवण कुमार मित्र (स्वंय सेवी संस्था/संगठन) की स्थापना की दिनांक	
3.	भक्त श्रवण कुमार मित्र का उद्‌देशय एवं कार्य विवरण	
4.	क्या श्रवण कुमार मित्र भारतीय सोसायटी अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकृत है या नहीं?	
5.	भक्त श्रवण कुमार मित्र के पंजीकरण का क्रमांक एवं दिनांक	
6.	क्या श्रवण कुमार मित्र अन्य किसी सरकारी या गैर सरकारी निकायों से आर्थिक सहायता प्राप्त रहा है? यदि हॉ तो सहायता का विवरण दे।	
7.	श्रवण कुमार मित्र का निजी आय का साधन	
8.	श्रवण कुमार मित्र की निजी सम्पति का विवरण जिसमें भवन भी शामिल है देंवे।	
9.	श्रवण कुमार मित्र कल्याण सेवा आश्रम की परियोजन पर कुल अनुमानित व्यय का विवरण दें।	
10.	क्या श्रवण कुमार मित्र योजना संचालन हेतु भवन व्यवस्था उपलब्ध है? यदि हॉ तो विवरण दे।	
11.	भक्त श्रवण कुमार मित्र योजना संचालन हेतु कर्मचारीगण तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं का पूर्ण विवरण दें।	
12.	क्या भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम का निरिक्षण किसी अधिकारी ने किया? यदि हॉ तो पूर्ण विवरण दे।	

हस्ताक्षर

भक्त श्रवण कुमार मित्र का
पूर्ण पता मय दूरभाष

वृद्धाश्रम योजना

1.	**योजना का नाम**	**वृद्धाश्रम योजना**
2.	प्रारम्भ किये जाने का वित्तीय वर्ष	2005–06 से लागू है।
3.	योजना का उद्देश्य	गरीब/निराश्रित/सन्तानहीन/स्वयं के परिवार से प्रताड़ित वृद्ध व्यक्तियों की उचित देखलाभ तथा उन्हें आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना।
4.	योजना में प्रवेश पाने वाले वृद्ध व्यक्तियों की पात्रता	राजस्थान राज्य का मूल निवासी महिला/पुरूष की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक की हो, निःसहाय, निराश्रित, संतानहीन, स्वयं के परिवार से प्रताड़ित, आजीविका चलाने में असमर्थ, छूत या संक्रमक रोग से पीड़ित नहीं हो, पागल या विक्षिप्त नहीं हो, भिखारी नहीं हो आदि वृद्ध व्यक्ति प्रवेश पा सकते
5.	योजना में मिलने वाले वित्तीय लाभ/सुविधाओं का विवरण	वृद्ध व्यक्ति को निःशुल्क आवास, कपड़े, नाश्ता, भोजन, रंगीन टी.वी., पत्र पत्रिकाएँ, समाचार पत्र, संगीत के उपकरण, धार्मिक पुस्तकं आदि नियमित उपलब्ध रहेगी।
6.	योजना के क्रियान्वन का माध्यम	स्वंय सेवी संस्थाओं के माध्यम से संभाग स्तर पर (जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर) अजमेर को छोड़कर (अजमेर मे राजकीय वृद्ध एवं अशक्त गृह पुष्कर में है)
7.	आवेदन की प्रक्रिया	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.), जिला कलेक्टर एवं स्वंय सेवी संस्थाओं को आवेदन किया जा सकता है।
8.	सम्पर्क अधिकारी	अतिरिक्त निदेशक (सामाजिक सुरक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर जिला कलेक्टर एवं जिले में पदस्थापित उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
9	आवेदन पत्र	प्रारूप संलग्न है।

वृद्धाश्रम योजना

आवेदन प्रपत्र

1. स्वयंसेवी संस्था का नाम..

2. स्वयंसेवी संस्था का पूर्ण पता..

3. स्वयंसेवी संस्था का दूरभाष न0..

4. क्या संस्था भारतीय सोयायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का अधिनियम 21) के अंतर्गत पंजीकृत है?..

5. यदि हॉ तो पंजीयन कमांक व दिनांक..

6. क्या संस्था को वृद्ध कल्याण के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव है। हॉ/नही..

7. यदि हॉ तो संस्था द्वारा वृद्ध कल्याण के क्षेत्र में किये गये कार्यो के विवरण संलगन करें

8. क्या संस्था अन्य गतिविधियां भी संचालित कर रही है। हॉ/नहीं...

9. यदि हॉ तो पूर्ण विवरण दें..

....

10. क्या संस्था भारत सरकार/राज्य सरकार से किसी अन्य योजना में अनुदान प्राप्त कर रही है।हॉ/नहीं..

11. यदि हॉ तो स्वीकृत अनुदान की वर्षवार राशि दें।

12. क्या संस्था विदेशी अनुदान/स्वदेशी अनुदान प्राप्त कर रही है। हॉ/नहीं...

13. यदि हॉ तो तीन वर्ष का विवरण दें।

14. क्या संस्था के पास वृद्धाश्रम संचालन हेतु पर्याप्त भवन उपलब्ध है।

15. यदि हॉ तो भवन का पूर्ण विवरण संलग्न करें।

अध्यक्ष/सचिव

चिरायु योजना

1.	योजना का नाम	चिरायु योजना
2.	प्रारम्भ किये जाने का वित्तीय वर्ष	2008
3.	योजना का उद्देश्य	राज्य के उपेक्षित वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की सहभागिता से राज्य में अधिक से अधिक वृद्धाश्रमों का भवन निर्माण कर संचालन करवाया जाना।
4.	योजना में प्रवेश पाने वाले वृद्ध व्यक्तियों की पात्रता	राजस्थान राज्य के वृद्ध एवं अशक्त महिला/पुरूष जिसकी आयु क्रमशः 55 व 60 वर्ष या इससे अधिक आयु की हो:- 1. निःसहाय, निराश्रित, संतानहीन हो। 2. स्वयं के परिवार से प्रताड़ित अथवा परित्यक्त वृद्ध महिला/पुरूष वृद्धाश्रम में प्रवेश पा सकते हैं, एवं 3. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों के 60 वर्ष व उससे अधिक उम्र के पुरूष व 55 वर्ष व उससे अधिक उम्र की महिलाओं को वृद्धाश्रम मे प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।
5.	योजना में मिलने वाले वित्तीय लाभ/सुविधाओं का विवरण	निःशुल्क आवास, कपड़े, नाश्ता, बिस्तर, भोजन, रंगीन टी.वी., पत्र पत्रिकाएँ, समाचार पत्र, संगीत के उपकरण, धार्मिक पुस्तकं आदि नियमित उपलब्ध रहेगी।
6.	योजना के क्रियान्वन का माध्यम	स्वंय सेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित की जा रही है।
7.	आवेदन की प्रक्रिया	समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिलाधिकारी एवं स्वयं सेवी संस्थाओं को प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते है।
8.	सम्पर्क अधिकारी	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं जिले के जिलाधिकारी से सम्पर्क कर सकते है।

बचत योजना

सावधि जमा योजना

1.	**योजना का नाम**	**सावधि जमा योजना**
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	सावधि जमा योजनान्तर्गत इस बैंक में कम से कम एक वर्ष व अधिक दो वर्ष के लिये राशि जमा की जाती है।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	2002–03
4.	लाभान्वित वर्ग	समस्त वर्ग/आमजन
5.	पात्रता	व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से सावधि जमा खाता भूमि विकास बैंक में निम्न द्वारा खोला जा सकता है:– • किसी व्यक्ति (पुरूष) स्वंय के नाम से। • दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से • अव्यस्क के नाम से उसके कानूनी संरक्षक द्वारा • विभिन्न संस्थाओं द्वारा। • जमाकर्ता/संस्था भूमि विकास बैंक का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।
6.	देय सुविधाएं	सावधि जमा पर ऋण सुविधा, वरिष्ठ नागरिकों को निर्धारित ब्याज दर से एक प्रतिशत से अधिक ब्याज देय है।
7.	आवेदन का तरीका	आवेदन पत्र के साथ परिचय पत्र/राशन कार्ड/पेन कार्ड, फोटो प्रमाणित, प्रमाणित हस्ताक्षर आदि
8.	आवेदन कहां किया जावे	बैंक मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय एवं संलग्न योजना में दर्शायी गयी 16 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक में
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	क्रम सं. 7 के अनुसार
10.	सम्पर्क सूत्र	उप प्रबन्धक लेखा एवं वित्त, प्रधान कार्यालय जयपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, संबंधित क्षेत्र व संबंधित 16 प्राथमिक बैंक के सचिव

वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना नियम, 2004

दिनांक 01.07.2017 से, ब्याज दरें निम्नानुसार है: 8.3 प्रतिशत, 31 मार्च/30 सितंबर/31 दिसंबर को जमा की तारीख से पहली बार में देय होगा और उसके बाद, ब्याज 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को देय होगा।	INR 1000 के अधिकतम में खाते में केवल एक जमा राशि होगी, अधिकतम 15 लाख रुपये से अधिक नहीं।

कर छूट सहित प्रमुख विशेषताएं

- केवल 60 या अधिक आयु वाले व्यक्ति ही इस खाते को खोल सकते है।
- सेवा निवृत्त होने या स्वैच्छिक सेवानिवृति के लिए चुनने वाले कुछ शर्तों के अधीन आयु सीमा में थोडी छूट है। ऐसे लोग 55 वर्ष की आयु के बाद इस योजना के तहत निवेश कर सकते हैं। परन्तु ऐसी स्थिति आपको रिटायरमेंट होने के एक महीने के अन्दर ही ऐसा अकाउंट खोलना होगा।
- सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों (नागरिक रक्षा कर्मचारियों को छोड़कर) उम्र सीमा के बावजूद इस योजना में निवेश कर सकते हैं।
- अनिवासी भारतीय (एनआरआई) और हिंदु अविभाजित परिवार (HUF) SCSS नहीं खोल सकते।
- किसी भी पोस्ट ऑफिस, पब्लिक सेक्टर बैंकों और चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंकों में इस खाते को खोल सकते है।
- खाते की परिपक्वता अवधि 5 वर्ष है। 5 साल के अंत में खाते को और तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है। ध्यान दें कि आप अपने खाते की अवधि को केवल एक बार ही बढ़ा सकते है। अधिकतम 8 साल तक आप अपने खाते को चला सकते है।
- व्यक्तिगत एवं संयुक्त (पति/पत्नी) दोनो तरह के खाते खोल सकते है। संयुक्त खाता केवल अपने पति या पत्नी के साथ ही खोल सकते है।
- खाता 1 लाख से कम राशि के लिए नगद द्वारा खोला जा सकता है और 1 लाख और उससे अधिक के लिए केवल चेक द्वारा।
- चेक से खाता खुलवाने के मामले में, चेक राशि की प्राप्ति सरकारी खाते में होने की तारीख से ही खाता खुलने की तिथि मानी जाएगी।
- नामांकन सुविधा खाता खुलवाने के समय एवं खाता खुलवाने के पश्चात् भी उपलब्ध रहेगी।
- खाता एक डाक घर से दूसरे डाक घर में स्थानांतरित किया जा सकता है।
- किसी भी डाक घर में कितने भी खाते खुलवाये जा सकते है, बशर्ते उक्त सभी खोले गये खातों की जमा राशि का जोड अधिकतम निवेश राशि की सीमा 15,00,000 तक हो।
- एक बात और, निवेश सीमा के आकलन के लिए एक संयुक्त खाते की पूरी राशि को पहले धारक का माना जाता है।
- पीडीसी या मनी आर्डर के माध्यम से ब्याज का आहरण ऑटो क्रेडिट से उसी डाक घर में संचालित बचत खाते से किया जा सकता है।
- एससीएसएस खातों में त्रैमासिक ब्याज का भुगतान अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी के पहले दिन किया जाता है।
- ब्याज दर निश्चित नहीं है और वित मंत्रालय द्वारा हर तिमाही को अधिसूचित किया जाता है। ब्याज की वर्तमान दर 8.3 प्रतिशत प्रति वर्ष है। यह ब्याज दर हर तीन महीने पर बदल सकती है।
- यदि वित्तीय वर्ष के लिए अर्जित ब्याज 10,000 रुपए से अधिक है तो स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) है। कर कटौती की दर 10 प्रतिशत है। इस योजना के तहत निवेश धारा 80 सी के तहत कर कटौती के लिए योग्य है।

पेन्शन योजना

	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना						
क. स.	विवरण	राज्य पेंशन योजना			राष्ट्रीय पेंशन योजना		
		(1) मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना	(2) मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना	(3) मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना	(4) इं.गां.रा. वृद्धावस्था पेंशन योजना	(5) इं.गां.रा. विधवा पेंशन योजना	(6) इं.गां.रा. निःशक्त पेंशन योजना
1	पात्रता	55/58 वर्ष से अधिक आयु के महिला/पुरूष	18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा/तलाक शुदा/परित्यक्ता महिला	किसी भी आयु का विशेष योग्यजन 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता वाले निःशक्तजन (प्राकृतिक रूप से बौने 3 फीट 6 इंच से कम, हिजरापन से ग्रसित हो) पेंशन योजना के लिये पात्र है।	बीपीएल परिवारों के 60 वर्ष से अधिक आयु के महिला/पुरूष	बीपीएल परिवारों के 40 वर्ष व अधिक आयु की विधवा महिला	बीपीएल परिवारों के 18 वर्ष व अधिक आयु के 80 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता वाले निःशक्तजन
2	वार्षिक आय सीमा	रू 48000/–	रू 48000/–	रू 60000/–	केन्द्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध	केन्द्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध	केन्द्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध
3	वित्तीय लाभ	75 वर्ष से कम 500 रू प्रतिमाह, 75 वर्ष व अधिक 750 रू प्रतिमाह	18 वर्ष से 59 वर्ष तक 500रू प्रतिमाह, 60 वर्ष से 74 वर्ष तक 1000रू प्रतिमाह, 75 वर्ष व अधिक 1500रू प्रतिमाह	सभी श्रेणियों को 750 रू प्रतिमाह	60 वर्ष से 74 वर्ष तक 500रू प्रतिमाह, 75 वर्ष व अधिक 750रू प्रतिमाह	40 वर्ष से 59 वर्ष तक 500रू प्रतिमाह, 60 वर्ष से 74 वर्ष तक 1000रू प्रतिमाह, 75 वर्ष व अधिक 1500रू प्रतिमाह	18 वर्ष व अधिक 750रू प्रतिमाह

राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन ऑनलाइन आवेदन

- आवेदनकर्ता को यहां पर दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करें
  http://rajssp.raj.nic.in/Htmlpages/schemes/oldage.aspx
  http://rajssp.raj.nic.in/Htmlpages/schemes/flowdiagram.aspx
- जब आप वेबसाइट पर जाएंगे आपको वृद्धावस्था पेंशन योजना का एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा।
- उसको डाउनलोड करें सारी जानकारी भरे
- आधार नंबर, फोन नंबर, एड्रेस भरे
- रजिस्टर होने के बाद आपको एक पासवर्ड मिलेगा
- इस पासवर्ड के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं

अधिक जानकारी के लिए राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का आदेश क्रमांक एफ 9(05)(12–II) सासुपे नियम/सा.न्या.अ.वि./2014–15/8947 दिनांक 29.09.2017 देंखे।

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर।

क्रमांक एफ 9(05)(12–II) सासुपे. नियम/सा.न्या.अ.वि./2014–15/8947 दिनांक 29.09.2017

आदेश

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा पेंशन नियम, 2013 के अध्याय–4 के नियम 5 के उपनियम (i) से (vi) को विलोपित कर उसके स्थान पर निम्नानुसार प्रावधान संशोधित/प्रतिस्थापित किया जाता है:–

नियम–5 आवेदन प्रस्तुत करने एवं पेंशन स्वीकृत करने की प्रक्रिया :–

(i) आवेदक को किसी भी ई–मित्र कियोस्क/अटल सेवा केन्द्र या स्वयं के SSO (Single Sign On) ID के माध्यम से निर्धारित प्रारूप एस.एस.पी.– I (SSP-1) में rajssp पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा। आवेदक को भामाशाह क्रमांक/भामाशाह पंजीकरण संख्या एवं आधार क्रमांक/आधार पंजीकरण संख्या को उपलब्ध कराना/भरना अनिवार्य होगा इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। भामाशाह एवं आधार कार्ड में अंकित आवेदक का व्यक्तिगत विवरण फिंगर प्रिन्ट प्रमाणीकरण/वन टाईम पासवर्ड (OTP) के पश्चात निर्धारित पेंशन आवेदन पत्र में स्वतः ही अंकित हो जायेगा, इसके अतिरिक्त अन्य वांछित विवरण आवेदन पत्र में अंकित करने के पश्चात उक्त आवेदन पत्र को वेबपोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन प्रस्तुत (Submit) करने पर आवेदन पत्र स्वतः ही संबंधित जांच अधिकारी को अग्रेषित हो जायेगा। आवेदन पत्र को जांच अधिकारी को अग्रेषित किये जाने की सूचना आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड कराये गये मोबाईल नम्बर पर एस.एम.एस.(SMS) द्वारा दी जायेगी।

(ii) विहित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरा हुआ ऑनलाईल आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर जॉच अधिकारी के स्तर पर रजिस्टर एस.एस.पी. II(SSP-II) के प्रारूप में रिपोर्ट ऑनलाईन संबंधित जांच अधिकारी के लॉगिन–इन पर प्रदर्शित होगी।

(iii) जांच अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन पत्र के साथ अपलोड किये गये दस्तावेजों एवं प्रस्तुत की गई/अन्य सूचनाओं के आधार पर आवेदक की जन्म तिथि, आयु, अधिवास, निवास स्थान और आय या आजीविका के स्रोत्र एवं नियमों में वर्णित अन्य पात्रता की जांच करने के साथ–साथ यह सुनिश्चित किया जायेगा की उसने पूर्व में पेंशन के लिए कोई आवेदन नहीं किया था और न ही उसका कोई आवेदन पत्र अस्वीकार ही किया गया था। जांच अधिकारी आवेदन पत्र की जांच एवं सत्यापन का कार्य पूर्ण करने के पश्चात अपनी सिफारिश के साथ स्वीकृतकर्ता अधिकारी (संबंधित विकास अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी) को वेबपोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन प्रेषित करेगा।

(iv) जांच अधिकारी द्वारा सत्यापन आवश्यक रूप से आवेदन–पत्र की प्राप्ति के अधिकतम 30 दिवस की कालावधि के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक होगा।

(v) ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी प्रत्येक आवेदन पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् या तो प्रारूप एस.एस.पी. I (SSP-I) के भाग III में पेंशन की स्वीकृति या दावे की अस्वीकृति संबंधी आदेश वेबपोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन पारित करेगा। स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा स्वीकृति के आदेश डिजीटल हस्ताक्षर अथवा आधार आधारित ई–हस्ताक्षर द्वारा संबंधित कोषाधिकारी के नाम जारी किये जायेंगे। पेंशन दावा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत होने की स्थिति में स्वीकृतकर्ता अधिकारी के स्तर से आवेदक को उसके रजिस्टर्ड मोबाईल पर एस.एम.एस. (SMS) द्वारा सूचना प्रेषित की जायेगी। पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा ऑनलााईन स्वीकृति आदेश जारी किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा की आवेदक को पेंशन की स्वीकृति नियमानुसार

ही जारी की गई हैं। स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा ऑनलाईन स्वीकृति जारी करने हेतु यूजर लॉगिन या पासवार्ड का स्वंय उपयोग किया जायेगा तथा पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं किया जायेगा। यदि यूजर लॉगिन या पासवर्ड का दुरूपयोग होता है तो पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी स्वयं उत्तदरायी होगा। पेंशनर एवं जांच अधिकारी को जारी की जाने वाली हार्डकॉपी ऑनलाईन जारी स्वीकृति के अनुरूप होनी चाहिए। इससे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऑनलाईन जारी स्वीकृति के आदेशों के सम्पूर्ण तथ्यो एवं उसके नियमानुसार शुद्वता का सम्पूर्ण दायित्व पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी का है।

पेंशन दावा स्वीकृति अथवा अस्वीकृति से संबंधित कार्य 15 दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा।

(vi) ऑनलाईन पेंशन स्वीकृति आदेश को ही पेंशन भुगतान आदेश माना जायेगा। ऑनलाईन पेंशन स्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर संबंधित जिला कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी द्वारा पेंशन भुगतान करने की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी पेंशन भुगतान आदेश जारी किये जाने एवं पेंशनर को पेंशन भुगतान से संबंधित कार्य 45 दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से पूर्ण किय जाना आवश्यक है। जांच अधिकारी स्वीकृतकर्ता अधिकारी एवं पेंशन भुगतान अधिकारी द्वारा उपरोक्त वर्णित सम्यावधि में कार्य पूर्ण नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारी कर्मचारी राजस्थान लोक सेवाओ को प्रदान की गारण्टी अधिनियम–2011 के तहत निर्धारित जुर्माना राशि अदा करने का व्यक्तिगत उत्तरदायी होगा।

(डॉ. सामित शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर।

क्रमांक एफ 9(05)(12–1) सासुपे. नियम/सा.न्या.अ.वि./2013–14/5213 दिनांक 11.05.2017

आदेश

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 के अध्याय 1 के नियम 2 का उप नियम (iv) को निम्नानुसार संशोधित प्रतिस्थापित किया जाता है:–

नियम–2 (iv) –पेंशन की राशि से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत स्वीकृत मासिक भुगतान राशि से है, जो निम्नानुसार है–

वृद्धावस्था पेंशन–

1. 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को	रू	500/– प्रति माह
2. 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को	रू	750/– प्रति माह

विधवा परित्यकता एवं तलाकशुदा पेंशन –

1. 18 वर्ष या अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम आयु की विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशनर को	रू	500/–प्रति माह
2. 60 वर्ष या अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम आयु की विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशनर को	रू	1000/– प्रति माह
3. 75 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की विधवा , परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशनर को	रू	1500/–प्रति माह

यह आदेश वित्त (व्यय–2) विभाग की अन्तर्विभागीय टीप संख्या 161700584 दिनांक 04.05. 2017 से प्राप्त सहमति के अनुक्रम में जारी किये जाते हैं।

उक्त संशोधन/प्रतिस्थापन आदेश दिनांक 01.07.2017 से प्रभावी होगा

(अशोक जैन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

राजस्थान पथ परिवहन निगम

वरिष्ठ नागरिकों को निगम बसों में यात्रा पर रियायत

क्र.सं.	योजना का नाम	वरिष्ठ नागरिकों को निगम बसों में यात्रा पर रियायत
1.	योजना का संक्षिप्त परिचय	राजस्थान राज्य के 65 वर्ष व अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निगम बसों में यात्रा पर 30 प्रतिशत रियायत
2.	प्रारम्भ होने का वर्ष	सितम्बर 2004
3.	लाभान्वित वर्ग	राजस्थान राज्य के 65 वर्ष व अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक
4.	पात्रता	65 वर्ष व अधिक आयु का प्रमाण–पत्र
5.	देय सुविधाएं	30 प्रतिशत रियायत
6.	आवेदन का तरीका	यात्रा के समय आयु प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना इनमें से कोई एकः– • मतदाता परिचय पत्र • पैनकार्ड • चालक लाईसेन्स • राशन कार्ड • सैकण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र • पासपोर्ट • निगम द्वारा जारी परिचय पत्र
7.	आवेदन कहां किया जावे	बस में कार्यरत परिचालक को
8.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	आयु प्रमाण–पत्र
9.	सम्पर्क सूत्र	निगम के विभिन्न आगारों के मुख्य प्रबन्धक

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर

क्रमांक एफ–4/मु./याता/लेखा (32) 2013/538 दिनांक 31.07.2013

कार्यालय आदेश

वर्तमान में निम्न श्रेणी के व्यक्तियों के लिए सीट आरक्षितर रखने की व्यवस्था है।

क.सं.	श्रेणी	आरक्षित सीट का विवरण
1.	माननीय सांसद एवं विधायकगण	2 सीट (सभी श्रेणी के वाहनों में)
2.	महिला यात्री	कुल 6 सीट (साधारण एवं द्रुतगामी बस में चालक के पीछे वाली सीट की दो कतारें)
3.	विकलांग/विशेष योग्यजन	2 सीट (साधारण एवं द्रुतगामी सेवा में सीट न0 17 व 16)

राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार राज्य के वरिष्ठ नागरिकों (उम्र 60 वर्ष अथवा अधिक) को निगम की सभी श्रेणी की बसों में रियायती यात्रा सुविधा दी जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा के समय असुविधा न हो, इसके उद्देश्य से निगम की सभी श्रेणी की बसों में उनकी बैठक क्षमता के अनुसार 5 प्रतिशत सीट निम्न प्रावधान के अनुसार आरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे:–

क.सं.	आरक्षित श्रेणी	आरक्षण का प्रतिशत	बैठक क्षमता 40 सीट तक	बैठक क्षमता 45 सीट तक	बैठक क्षमता 50 सीट तक
1	वरिष्ठ नागरिक	5 प्रतिशत	02 सीट (सीट न0 20–21)	02 सीट (सीट न0 20–21)	02 सीट (सीट न0 20–21–22)

I. चालू बुकिंग में वाहन के प्रथम प्रस्थान बिन्दु/स्थान पर वाहन प्रस्थान के निर्धारित समय से 15 मिनिट पूर्व तक आरक्षित सीट एवं प्रस्थान समय तक वाहन में सीट उपलब्धता की स्थिति में उपलब्ध सीट का आवंटन किया जावे।

II. यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को आरक्षित सीट अथवा रिक्त सीट उपलब्धता के प्रयास के लिए चालक/परिचालक को निर्देश दिये जावें।

III. उक्त वर्णित आरक्षित सीट का आवंटन वरिष्ठ नागरिक की निर्धारित पात्रता के प्रपत्र प्रस्तुत करने पर ही की जावें।

IV. आरक्षित सीटों के पीछे संबंधित श्रेणी का नाम आवश्यक रूप से लिखा जावे।

यह व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से लागू किये की जावे।

(नरेश पाल गंगवार)
अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर

क्रमांक एफ–4 / मु. / याता / लेखा(109) / 2013 / 348 दिनांक 28.04.2014

कार्यालय आदेश

परिवहन विभाग के पत्र क्रमांक नं. 12 (82)परि / 2007 पार्ट–11 जयपुर दिनांक 25.04.2014 के द्वारा राजस्थान एवं अन्य राज्यों के मध्य सम्पन्न पारस्परिक परिवहन करारों के प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुये पूर्व आदेशों मे संशोधन किया जाकर राजस्थान परिवहन निगम की सभी श्रेणी की बसों में महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को **केवल राजस्थान राज्य की सीमा में** ही 30 प्रतिशत छूट देने की संशोधित स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः इस कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक एफ–4 / मु. / याता / लेखा(109) / 2013 / 434 दिनांक 20.06.2013 द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सभी श्रेणियों की बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकगण को यात्री किराया राशि में दी गई 30 प्रतिशत छूट **केवल राजस्थान राज्य सीमा** में ही देय होगी।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू किये जाते है।

(भास्कर ए.सांवत)
प्रबन्धक निदेशक

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर

कमांक एफ–4/मु./याता/लेखा (109) 2013/434 दिनांक 20.06.2013

कार्यालय आदेश

उप शासन सचिव, परिवहन विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक प 14(2) परि/2007 पार्ट–II जयपुर दिनांक 20.06.2013 से एवं वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101302792 दिनांक 20.06.2013 के द्वारा महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकगण को निगम की समस्त श्रेणी की बसों में यात्रा करने पर यात्री किराये में 30 प्रतिशत रियायत देने की स्वीकृती प्रदान की गई है।

अतः उक्त आदेशों की अनुपालना में महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को निगम की समस्त श्रेणी की बसों में यात्रा करने पर, यात्री किराया राशि में 30 प्रतिशत छूट/रियायत दिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। यह रियायती यात्रा सुविधा निम्न प्रावधानों के तहत दी जानी है:–

1. महिला/वरिष्ठ नागरिक यात्रियों को नियमानुसार आरक्षण यात्रा टिकिट, ...टिकिट अथवा रियायती यात्रा टिकिट बुक से टिकिट जारी किए जावेंगे तथा रियायती यात्रा पर निगम पर पड़ने वाले वित्तीय भार की गणना पूर्वनुसार आदेश संख्या एफ–4 मु/ यात्रा/ लेखा/ 2011 /1335/दिनांक 07.06.2011 के अनुसार की जावेंगी।
2. उक्त वर्णित रियायत/छूट प्राप्त करने वाली महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को समूह में यात्रा के लिये पूर्व में दी जा रही निर्धारित छूट देय नहीं होगी।
3. महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों (उम्र 60 वर्ष या अधिक) जो अन्य श्रेणी में रियायती यात्रा के लिए भी पात्र है। ऐसी महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को देय 30 प्रतिशत रियायत अथवा अन्य स्वीकृत श्रेणी में देय रियायत दोनों मे से कोई एक रियायत ही देय होगी।

उक्त आदेश 20.06.2013–20.06.2013 की मध्य रात्री से प्रभावी होंगे।

(नरेश पाल गंगवार)
अध्यक्ष एंव प्रबन्धक निदेशक

अन्य योजना

मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना

1.	योजना का नाम	मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	योजना राज्य में 1 जनवरी 2009 से प्रारम्भ की गई। योजना के अन्तर्गत संबंधित श्रेणी के व्यक्ति या परिवार के सदस्य का समस्त राजकीय चिकित्सालयों के इन्डोर एवं आउटडोर में निःशुल्क उपचार किया जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क इलाज हेतु एम्स नई दिल्ली, अथवा पीजीआई, चंडीगढ़ में रैफर भी किया जाता है। प्रारम्भ में योजना के अन्तर्गत केवल बीपीएल परिवारों को ही शामिल किया गया। तत्पश्चात् समय–समय पर अन्य नई श्रेणियों के परिवारों/व्यक्तियों को भी योजना में सम्मिलित कर लिया गया।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	2009
4.	लाभान्वित वर्ग	बीपीएल परिवार, स्टेट बीपीएल परविार, आस्था कार्डधारी परिवार, एचआईवी/एड्स मरीज **वृद्वाश्रम**/विधवा/विकंलाग पेन्शनधारी, अंत्योदय अन्न योजना में चयनित सहरिया परिवार के लाभार्थी, अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी कथौडी जनजाति के परिवार, मेहरानगढ़ दुर्ग दुखांतिका जोधपुर में मारे गये अथवा स्थायी रूप से निःशक्त व्यक्तियों के आश्रित माता–पिता सहित परिजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित तथा अनुमोदित अनाथालयों(Hostels) में निवास कर रहे अनाथ बच्चे, राज्य सरकार द्वारा संचालित तथा अनुमोदित विशेष विद्यालयों में अध्ययनरत शारीरिक रूप से विकंलाग तथा मानसिक रूप से विमंदित बच्चे, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित महिला सदनों में निवासरत महिलाएं तथा थैलेसिमिया व हिमोफिलिया रोग के उपचार हेतु प्रदेश के थैलेसिमिया व हिमोफिलिया के समस्त रोगी, नवजीवन योजना के समस्त लाभार्थी परिवार, राज्य की भोपा, बागरिया, बंजारा, गडिया–लाहोर, कंजर, सांसी, नट, मेव, मिरासी, जागा, जोगी, वाल्मिकी–हरिजन, रेबारी, मदारी, अल्लीशाह, सपेरा, रायसिख, भिस्ती आदि जातियों के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से अत्यन्त पिछड़े हुए ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1.00 लाख रूपये तक है, जयपुर बम ब्लास्ट 2008 में मारे गये व्यक्तियों के आश्रित परिवारजन एवं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति तथा राज्य के जिले की खैरवा जाति(पिछड़ा वर्ग) के समस्त परिवार। इसके अतिरिक्त प्रदेश के बीपीएल एवं सटेट बीपीएल परिवारों के निःसंतान दंपत्तियों के यदि इलाज से संतान हो सकती है तो उसका खर्च सरकार द्वारा योजना के तहत वहन किया जायेगा तथा बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल परिवारों के हार्ट, कैंसर एवं किडनी रेगियों को ईलाज हेतु चिन्हित निजी चिकित्सालयों में ईलाज करवाने पर प्रति रोगी अधिकतम 1.00 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता चिन्हित निजी चिकित्सालयों को उपलब्ध करवाई जायेगी।
5.	पात्रता	स्वंबधित श्रेणी कार्ड होने की स्थिति में ही संबंधित श्रेणी के व्यक्ति या परिवार के सदस्य को निःशुल्क उपचार ग्रहण करने के पात्र माना जायेगा।
6.	देय संविधाएं	निःशुल्क चिकित्सा सुविधा(आउटडोर एवं इन्डोर)
7.	सुविधा प्राप्त करने की प्रकिया	संबंधित श्रेणी का व्यक्ति या परिवार का सदस्य संबंधित श्रेणी का कार्ड दिखाकर राज्य के समस्त राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क इलाज हेतु एम्स नई दिल्ली, अथवा पीजीआई,

		चंडीगढ़ में रैफर भी किया जाता है।
8.	सम्पर्क सूत्र	• मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, दूरभाष–0141–2221590 • संबंधित संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर • निदेशक, अस्पताल प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, दूरभाष–0141–2229858, 2225653 • प्रधानाचार्य/नियंत्रक संबंधित मेडिकल कॉलेज • परियोजना निदेशक, एमएमजेआरके, दूरभाष–0141–5110731 • संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी • प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, संबंधित जिला चिकित्सालय

देवस्थान विभाग

दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना

1.	**योजना का नाम**	**दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना**
2.	योजना का प्रारम्भ वर्ष	2017 (मूलतः 2013 से 2017 से नये स्वरूप में)
3.	योजना का उद्देश्य व संक्षिप्त विवरण	इस योजना का उद्देश्य राजस्थान के मूल निवासी वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति) को उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश के बाहर देश में स्थित विभिन्न नाम के निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक स्थान की यात्रा सुलभ कराने हेतु राजकीय सुविधा एवं सहायता प्रदान करना है।
4.	तीर्थ यात्रा हेतु अनुदान राशि	स्वंय विभाग द्वारा निर्धारित यात्रा का व्यय वहन
5.	योजना में कुल लाभार्थियों की विभागीय सीमा	15,000 रेलमार्ग से। 5000 वायुयान से
6.	तीर्थ स्थानों की सूचीः–	यात्रा हेतु तीर्थ स्थान इस प्रकार हैः– रेल द्वाराः– 1. जगन्नाथपुरी 2. रामेश्वरम् 3. वैष्णोदेवी 4. तिरूपति 5. द्वारिकापुरी 6. अमृतसर 7. सम्मेदशिखर 8. गोवा 9. श्रावण बेलगोला 10. बिहार शरीफ 11. शिरडी 12. पटना साहिब 13. गया–बोधगया काशी–सारनाथ हवाई जहाज द्वाराः– 1. जगन्नाथपुरी 2. रामेश्वरम् 3. तिरूपति 4. वाराणसी (काशी)–सारनाथ 5. अमृतसर 6. सम्मेदशिखर 7. गोवा 8. बिहार शरीफ 9. शिरडी 10. पटना साहिब नोटः– उक्त सूची में देवस्थान विभाग द्वारा और स्थानों में सम्मिलित अथवा कम किया जा सकेगा। हवाई यात्रा में कुछ दूर बस द्वारा यात्रा भी की जाएगी, जिसकर विवरण विज्ञप्ति में किया जाएगा। तीर्थ यात्रा हेतु निर्धारित प्रस्थान स्थल भी विज्ञप्ति में वर्णित होंगे।
7.	यात्रा पर जाने के लिये पात्रताः–	इस योजना के अन्तगत आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करनी होगीः– 1. राजस्थान का मूल निवासी हो एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति रेल यात्रा हेतु एवं 65 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति हवाई जहाज से यात्रा के पात्र होंगे। 2. आयकरदाता न हो। 3. इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में यात्रा न किये जाने संबंधी आशय का Self Declaration यात्री को देना होगा। यदि किसी भी समय यह पाया गया कि यात्री द्वारा इस शर्त का उल्लंघन किया गया है तो यात्रा पर हुआ सम्पूर्ण व्यय एवं उस पर 25 प्रतिशत राशि दण्डात्मक देय होगी एवं आई.पी.सी. के प्रावधानों के अन्तर्गत वसूली / दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। 4. भिक्षावृत्ति पर जीवन यापन करने वाले योजना के

		पात्र नहीं होंगे। 5. यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी संक्रामक रोग यथा टी.बी., कांजेस्टिव कार्डियक, श्वांस में अवरोध संबंधी बीमारी, Coronary अपर्याप्तता, ncoronary thrombosis, मानसिक व्याधि, संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित न हो। 6. वरिष्ठ नागरिक की चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा की वह व्यक्ति प्रस्तावित दस दिवसीय यात्रा हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं सक्षम हे। 7. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र व राज्य सरकार के उपक्रम/स्थानीय निकाय से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके जीवन साथी यात्रा के पात्र नहीं होगें।
8.	निरर्हता	1. यदि यह पाया गया कि आवेदक/यात्री ने असत्य जानकारी देकर या तथ्यों को छुपाकर आवेदन किया है तो उसे किसी भी समय योजना के लाभों से वंचित किया जा सकेगा। 2. नियम 15 में वर्णित शर्तो के उल्लंघन पर भी आवेदनक/यात्री को योजना के लाभों से वंचित किया जा सकता है। 3. नियम 5 (1) एवं (2) के अन्तर्गत निरर्ह व्यक्ति को भविष्य में आवेदन के लिये भी निरर्ह घोषित किया जा सकेगा।
9.	आवेदन की प्रकिया	1 आवेदन देवस्थान विभाग के पोर्टल पर दिये गये लिंक के माध्यम से केवल ऑनलाईन ही स्वीकार किए जाएगें। 2. आवेदक व उसके साथ जाने वाले सहायक दोनों के पास भामाशाह/आधार कार्ड अवश्यक होना चाहिए। 3. ऑनलाईन आवेदन व भामाशाह कार्ड हेतु संबंधित पोर्टल से फार्म भरा जा सकता हैं ई–मित्र केन्द्र पर भी ये सुविधाएं उपलब्ध है। 4. आवेदक पत्र में अपनी पंसद के तीर्थ–स्थल वरीयता कम (Preference)में अंकित किया जाए।
10.	चयन की प्रकिया	1 यात्रियों का चयन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा निम्न लिखित प्रकिया के अन्तर्गत किया जाएगा– 2 प्रत्येक स्थान की यात्रा हेतु प्राप्त आवेदनों में से उपलब्ध कोटे के अनुसार यात्रियों का चयन किया जायेगा। यदि निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो लाटरी (कम्प्यूटराईज्ड ड्रा आफ लाट्स) द्वारा यात्रियों का चयन किया जायेगा। कोटे के 100 प्रतिशत अतिरिक्त व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची भी बनायी जायेगी। 3. चयनित यात्री के यात्रा पर न जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्ति को यात्रा पर भेजा जा सकेगा। 4 लाटरी निकालते समय आवेदक के साथ उसकी पत्नी अथवा पति या सहायक को एक मानते हुऐ लाटरी निकाली जायेगी एवं लाटरी म ेंचयन होने पर यात्रा के लिए उपलब्ध बर्थ/सीटों मे से उतनी संख्या कम कर दी जायेगी।

		5 चयनित यात्रियों एवं प्रतीक्षा सूची को कलक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर एवं अन्य ऐसे माध्यम से हो कि उचित समझे प्रसारित किया जायेगा। 6 केवल वह व्यक्ति ही जिसका चयन किया गया है, यात्रा पर जा सकेगा। वह अपने साथ अन्य किसी व्यक्ति को नहीं ले जा सकेगा। 7 रेल एवं हवाई यात्रियों की लाटरी एक साथ निकाली जायेगी, उसके उपरान्त 15000 हजार यात्रियों का चयन रेल यात्रा हेतु व 5000 हजार यात्रियों का चयन हवाई यात्रा हेतु किया जायेगा।
11.	संचालक	योजना के दिन प्रतिदिन संचालन/मोनिटरिंग हेतु एक अधिकारी की नियुक्ति की जावेगी। उसको आवश्यकतानुसार वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां देवस्थान विभाग द्वारा प्रत्यायोजित की जा सकेगी।

राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम–2011

पीडित– "पीडित" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपराध के परिणामस्वरूप किसी हानि या क्षति से ग्रस्त हुआ है और जिसे पुनर्वास की आवश्यकता है और इसमें उसका संरक्षक या विधिक वारिस और आश्रित सम्मिलित है।

अनुसूची
(नियम 5 (8))

क.सं.	हानि या क्षति की विशिष्टियाँ	प्रतिकर की अधिकतम सीमा
1	2	3
1.	जीवन हानि (उपार्जन करने वाला सदस्य) जीवन हानि (उपार्जन नहीं करने वाला सदस्य)	रू. 5,00,000/– रू. 2,50,000/–
2.	किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरुप 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता हो गयी है (उपार्जन करने वाला सदस्य) किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरुप 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता हो गयी है (उपार्जन नहीं करने वाला सदस्य)	रू. 5,00,000/– रू. 2,50,000/–
3.	किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरुप 40 प्रतिशत से अधिक व 80 प्रतिशत तक विकलांगता हो गयी है (उपार्जन करने वाला सदस्य) किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरुप 40 प्रतिशत से अधिक व 80 प्रतिशत तक विकलांगता हो गयी है (उपार्जन नहीं करने वाला सदस्य)	रू. 80,000/– रू. 50,000/–
4.	किसी अंग या शरीर के भाग की हानि जिसके परिणामस्वरुप 40 प्रतिशत तक विकलांगता हो गयी है।	रू 25,000/–
5.	अवयस्क के साथ बलात्संग	रू 5,00,000/–
6.	बलात्संग	रू 5,00,000/–
7.	पुनर्वास	रू 1,00,000/–
8.	मानव दुर्व्यापार, बाल दुरूपयोग और व्यपहरण जैसे मामले में जिसमें महिलाओं और बाल पीड़ितों को गंभीर मानसिक पीड़ा कारित करने वाली हानि या कोई क्षति हुई है।	रू 25,000/–
9.	बाल पीड़ित को साधारण हानि या क्षति	रू 20,000/–
10.	अम्ल (एसिड) हमले का पीडित	रू 3,00,000/–
11.	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन अपराध	
	(क) प्रवेशन लैंगिक हमला	रू 5,00,000/–
	(ख) गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला	रू 5,00,000/–
	(ग) लैंगिक हमला	रू 1,00,000/–
	(घ) गुरूतर लैंगिक हमला	रू 2,00,000/–
	(ड) अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग	रू 1,00,000/–
	टिप्पणी : अंतरिम सहायता के रूप में निम्नलिखित व्यय संदेय होंगे :– (i) दाह संस्कार व्यय : रू. 10,000/– (ii) चिकित्सा व्यय : रू. 25,000/– (iii) बालक की दशा में अंतरिम सहायता प्रतिकर की अधिकतम सीमा का 50% (iv) वयस्क की दशा में अंतरिम सहायता प्रतिकर की अधिकतम सीमा का 25%	

अधिसूचना संख्या एफ.17(154) गृह–10/2010, दिनांक 06.04.2015 द्वारा प्रतिस्थापित तथा दिनांक 08.04.2015 से प्रभावी

वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम

वृद्ध व्यक्तियों के जीवन-स्तर में सुधार करने के लिए

केंद्रीय सेक्टर योजना

(01.04.2016 की स्थिति के अनुसार संशोधित)

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली

www.socialjustice.nic.in

वृद्धजनों के लिए समेकित कार्यक्रम

1. प्रस्तावना

वर्ष 2011 में 1038 मिलियन हो गई है। अनुमान के अनुसार, वर्ष 2016 में भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों की आबादी बढ़कर वर्ष 2016 में 11.6 करोड़, वर्ष 2021 में 14.3 करोड़ तथा वर्ष 2026 में 17.3 करोड़ हो गई है। जीवन प्रत्याशा में सतत वृद्धि होने से लम्बी आयु तक जीवन जीने वाले व्यक्तियों की संख्या और अधिक हो गई है। पिछले कुछ वर्षों में, वरिष्ठ नागरिकों को आबादी के अनुपात में सतत वृद्धि होने के मुख्य कारणों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सामान्य सुधार होना एक कारण है। यह सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण है कि वे न सिर्फ लम्बी आयु तक जीवन जीते हैं बल्कि सुरक्षित, सम्मानपूर्ण एवं सृजनशील जीवन जीते हैं।

भारतीय समाज के परम्परागत मूल्यों एवं मानकों में वृद्धजनों को सम्मान देना और देखभाल करने पर बल दिया जाता था । तथापि, हाल के समय में समाज में धीरे-धीरे लेकिन निश्चित तौर पर संयुक्त परिवार प्रणाली में विघटन हो रहा है परिणामस्वरूप भावात्मक, शारीरिक और वित्तीय सहायता की कमी से काफी संख्या में माता-पिता की उनके परिवारों द्वारा उपेक्षा की जा रही है। ये वृद्धजन पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा की कमी में अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं । इससे स्पष्ट है कि वृद्धावस्था एक बडी सामाजिक चुनौती बन गई है और वृद्धजनों की आर्थिक और स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने और वृद्धजनों की भावात्मक जरूरतों के प्रति संवेदनशील सामाजिक वातावरण बनाए जाने की आवश्यकता है ।

2. लक्ष्य एवं उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को मौलिक सुविधाएं जैसे आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसर प्रदान करते हुए और सरकारी/गैर-सरकारी संगठन(एनजीओ)/पंचायती राज संस्थाएं(पीआरआई)/स्थानीय निकाय और व्यापक स्तर पर समुदाय के क्षमता निर्माण के लिए समर्थन प्रदान करने के माध्यम से सृजनशील एवं सक्रिय वृद्धावस्था को प्रोत्साहित हुए वृद्ध व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। लागत मानदण्ड 01 अप्रैल, 2015 से संशोधित हैं और पहले से ही अधिसूचित हैं। 4 नई योजनागत स्कीमें जिन्हें 12वीं योजना के दौरान कार्यान्वित करने के लिए परिकल्पित किया गया था,

(iv) वृद्धजनों को संस्थागत के साथ-साथ गैर-संस्थागत देखभाल/सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्यक्रम;

(v) वृद्धावस्था के क्षेत्र में अनुसंधान, एडवोकेसी और जागरूकता निर्माण के कार्यक्रम; और

(vi) वृद्धजनों के सर्वोत्तम हित में कोई अन्य कार्यक्रम।

4. योजना के अंतर्गत सहायता के लिए स्वीकार्य कार्यक्रम

(i) कम से कम 25 निराश्रित वृद्ध व्यक्तियों को भोजन, देखभाल और आश्रय प्रदान करने के लिए **संसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के अंतर्गत आने वाले वृद्धाश्रमों सहित** वृद्धाश्रमों का अनुरक्षण (परिशिष्ट-I)

(ii) वृद्धाश्रमों में रहने वाले कम से कम 25 ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को जो गंभीर रूप से बीमार रहते हैं और उनकी सतत् नर्सिंग देखभाल और आराम की अपेक्षा होती है, के लिए **राहत (रेसपाइट) देखभाल गृहों और सतत् देखभाल गृहों का अनुरक्षण (परिशिष्ट II)**

(iii) कम से कम 50 वृद्धजनों को दिवा देखभाल, शैक्षिक एवं मनोरंजन के अवसर, स्वास्थ्य देखभाल, मित्रमंडली प्रदान करने के लिए **वृद्धजनों के लिए बहु सेवा केंद्रों का संचालन (परिशिष्ट III)**

(iv) ग्रामीण एवं पृथक और पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा देखरेख प्रदान करने के लिए **सचल चिकित्सा देखभाल यूनिटों का रखरखाव (परिशिष्ट IV)**

(v) **अल्जाइमर/मनोभ्रंश बीमारी से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिवा देखभाल केंद्रों को संचालित करना (परिशिष्ट V)**

(vi) **वृद्ध विधवाओं के लिए बहु सुविधा देखभाल केन्द्र (परिशिष्ट VI)**

(vii) **वृद्ध व्यक्तियों के लिए फिजियोथेरेपी क्लिनिक (परिशिष्ट VII)**

(viii) **क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र (परिशिष्ट VIII)**

(i) पंचायती राज संस्थाएं (पीआरआई)/स्थानीय निकाय ।

(ii) गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठन ।

(iii) सरकार द्वारा स्वायत्त/अधीनस्थ निकायों के रूप में स्थापित संस्थाएं अथवा संगठन

(iv) सरकारी मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाएं, धर्मार्थ अस्पताल/नर्सिंग होम और नेहरू युवक केंद्र संगठन (एन.वाई.के.एस.) जैसे मान्य युवा संगठन।

(v) राष्ट्रीय एवं जिला स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन के संदर्भ में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चयनित एजेंसियां; तथा

(vi) आपवादिक मामलों में इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भी प्रदान की जाएगी ।

7. इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों हेतु पात्रता मानदंड

(i) गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठन को एक उचित अधिनियम के अंतर्गत एक पंजीकृत निकाय होना चाहिए ताकि इसे कारपोरेट स्तर और कानूनी रूप प्राप्त हो जाए तथा इसके कार्यकलापों के लिए एक समूह दायित्व स्थापित हो ।

(ii) यह सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 अथवा संगत राज्य सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए और कम से कम दो वर्ष से कार्यशील हो अथवा उस समय लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत पंजीकृत कोई सार्वजनिक ट्रस्ट अथवा कंपनी अधिनियम, 1958 की धारा 525 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त धर्मार्थ कंपनी ।

(iii) यह *कम से कम* दो वर्ष से पंजीकृत रहा हो, लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर, रेगिस्तानी क्षेत्रों एवं कम सेवा किए गए/कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों के मामले में, दो वर्ष की यह शर्त लागू नहीं होगी । अन्य सुपात्र मामलों में दो वर्ष की शर्त में सचिव (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) द्वारा मामला-दर मामला आधार पर छूट दी जा सकती है ।

अनुबंध-I

<u>वृद्धजनों के लिए समेकित कार्यक्रम के लिए दिशानिर्देश</u>

1. प्रस्ताव प्रस्तुत करने और सहायता अनुदान जारी करने के लिए प्रक्रिया-विधि

इस योजना के अंतर्गत प्राप्त सभी प्रस्तावों पर मंत्रालय द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान पर कार्रवाई करने के लिए जारी सामान्य दिशा-निर्देशों और समय-समय पर यथा संशोधित सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) - 2005 के संगत प्रावधानों के अनुसरण में विचार किया जाएगा । इस समय प्रचलित दिशा-निर्देशों के आधार पर निम्नलिखित प्रक्रिया-विधि अपनाई जाएगी ।

राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत/अग्रेषित किया जाएगा :-

(i) सभी प्रस्तावों में कवर किए जाने वाले लक्षित समूह के लाभार्थियों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ।

(ii) इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृत हेतु सभी नये प्रस्तावों को निर्धारित प्रपत्र में सभी संगत दस्तावेजों के साथ संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

(iii) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा, जारी परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान जारी करने हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में सभी संगत दस्तावेजों के साथ वितीय वर्ष के आरम्भ होने पर तत्काल राज्य सरकारों को प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।

(iv) नई परियोजनाओं की संस्वीकृति और जारी परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान जारी रखने हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रस्तावित एजेंसियों, जिसकी जांच इसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की गई है, के आधारभूत कार्यकरण और उपयुक्तता की जांच करनी चाहिए । ऐसे सभी प्रस्तावों पर राज्य सहायता अनुदान समिति द्वारा विचार किया जाएगा और राज्य सरकार की सिफारिशों को वरीयता विनिर्दिष्ट करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को एक साथ भेज दिया जाएगा । चालू परियोजनाओं के बकाया अनुदान हेतु सिफारिशों पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब वर्तमान वित्त वर्ष में सहायता अनुदान जारी करने के लिए विशिष्ट सिफारिश होगी ।

(v) नये मामलों को अग्रेषित करते समय राज्य/संघ राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेवा से वंचित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों को वरीयता दी जाए । नये मामलों की जांच करने वाली मंत्रालय की जांच समिति अन्य निर्धारित दिशा-निर्देशों के साथ इसे भी ध्यान में रखेगी ।

(vi) कार्यान्वयन एजेंसी को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से सहायता प्राप्त होने से पहले निर्धारित प्रपत्र में बॉण्ड भरना होगा । मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा बॉण्ड को स्वीकृत किए जाने के पश्चात् ही निधियों का स्थानान्तरण किया जाएगा । तथापि, जारी परियोजनाओं के मामले में निधियां जारी करने के लिए आवेदन के साथ उपर्युक्त के अनुसार निष्पादित बॉण्ड संलग्न होना चाहिए ।

(vii) **निरीक्षण :-** इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के निरीक्षण का प्रमुख दायित्व संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास है । सहायता अनुदान केवल निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जारी किया जाएगा । मंत्रालय समय-समय पर निरीक्षण की प्रकृति, प्रकार और आवधिकता के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करेगा । आवश्यकतानुसार मंत्रालय अपनी स्वयं की एजेंसियों द्वारा भी क्षेत्र निरीक्षण कर सकता है ।

3. गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेज

(i) संबंधित कार्यक्रमों/सेवाओं में संगठन की विशेषज्ञता/अनुभव के बारे में प्रमाण।

(ii) एसोसिएशन का गठन, संगम ज्ञापन और लक्ष्य एवं उद्देश्यों का ब्यौरा ।

(iii) प्रबंधक मंडल का गठन, मौजूदा सदस्य, मौजूदा प्रबंधन मंडल के गठन की तारीख ।

(iv) अद्यतन वार्षिक रिपोर्ट ।

(v) एक ही परियोजना के लिए केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/किसी अन्य स्रोत के अन्य विभाग से प्राप्त अथवा प्राप्त होने वाले अनुदान से संबंधित सूचना ।

(vi) पिछले दो वर्षों के लिए संगठन/संस्था की बैलेन्स शीट और समेकित पूरी रसीद और भुगतान का विवरण और पिछले वर्ष की बैलेन्स शीट की एक प्रति । यह चार्टेड एकाउन्टेन्ट अथवा सरकार प्राधिकारी द्वारा सत्यापित होनी चाहिए; और

(vii) सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर मांगी सहायता अनुदान राशि के लिए संस्था/संगठन के नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा विधिवत निष्पादित बॉण्ड ।

(*viii*) संगठन को अपने लाभार्थियों और स्टाफ के सदस्यों की सूची उनके आधार संख्या (जहां संभव हो) सहित प्रस्तुत करनी होगी।

(ix) अल्जाइमर और डिमेंशिया रोग से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिवा-देखभाल केन्द्रों को सहायता के मामले में संगठन को सरकारी अस्पताल से प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा जिसमें अल्जाइमर अथवा डिमेंशिया रोग, जैसा भी मामला हो, से पीड़ित लाभार्थियों को प्रमाणित किया गया हो।

4. गैर-सरकारी संगठनों के मामलों में अतिरिक्त निबंधन एवं शर्तें :-

(क) केद्र सरकार अथवा राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, द्वारा जारी किसी निर्देश का पालन करना संगठन के मुखिया का दायित्व है ।

(ख) गारंटी देने वाली संस्था को मंत्रालय से प्राप्त अनुदान के संबंध में अलग लेखे रखने होंगे ।

5. विविध

(i) कार्यान्वयन एजेंसियों को समवासियों के लिए सुविधाओं का पैकेज, जिसका प्रस्ताव में सुस्पष्ट उल्लेख किया गया हो, उपलब्ध कराना होगा और जो केद्रीय सरकारी के पूर्वानुमोदन के बिना समवासियों के अहित में बदला नहीं जाएगा ।

(ii) इस योजना के अंतर्गत स्टाफ को काम पर रखते समय निम्नलिखित मानदंडों का अनुपालन आवश्यक है :-

डॉक्टर - वह अनिवार्यता मेडिसन की वैकल्पिक प्रणाली सहित मेडिसन में औपचारिक पात्रता *(सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित)* रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। वरीयता एमबीबीएस पात्रता वाले डाक्टर को दी जानी चाहिए।

1. **संसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के तहत आने वाले वृद्धाश्रमों सहित वृद्धाश्रमों का अनुरक्षण**
(योजना के पैरा 4(I) से संदर्भित)

25 वरिष्ठ नागरिकों को भोजन, आश्रय, देखभाल, मनोरंजन सुविधाएं आदि निःशुल्क प्रदान करने के लिए वृद्धाश्रम चलाने वाली परियोजनाओं को सहायता-अनुदान। यदि वृद्धाश्रम बड़े आकार के हैं (150 अथवा 75 अथवा 50 लाभार्थियों के लिए) तो ऐसे वृद्धाश्रमों को अनुरक्षण हेतु सहायता अनुदान आनुपातिक आधार पर संस्वीकृत किया जाएगा । कार्यान्वयन एजेंसियां इन वृद्धाश्रमों में अपने स्वयं के संसाधनों से अतिरिक्त वस्तुएं/अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वतंत्र हैं। निधियों के उपयोग में लचीलापन लाने के लिए संगठन को निम्नलिखित शीर्षों पर व्यय करने की अनुमति दी जाएगी ।

(राशि रुपए में)

क्रम सं.	मद	दरें
I	आवर्ती व्यय (क से ङ)	*X श्रेणी 10,57,000/-- वार्षिक *Y श्रेणी 10,09,000/-- वार्षिक *Z श्रेणी 9,97,000/-- वार्षिक
(क)	**स्टाफ मानदेय**	
	i. अधीक्षक/वार्डन/मैनेजर	78,000/- वार्षिक
	ii. सामाजिक कार्यकर्ता/परामर्शदाता	66,600/- वार्षिक
	iii. दाई/नर्स	66600/- वार्षिक
	iv. रसोइया	44,400/- वार्षिक
	v. हैल्पर/स्वीपर	22,200- वार्षिक
	vi. चौकीदार	22,200/- वार्षिक
	कुल (i) से (vi)	3,00,000/- वार्षिक
(ख)	भवन किराया (या यदि अपना भवन हो तो किराए की 10 प्रतिशत की दर से अनुरक्षण)	X-1,68,000/- वार्षिक Y-1,20,000/- वार्षिक Z-1,08,000/- वार्षिक
(ग)	स्वास्थ्य देखभाल	5,15,000/- वार्षिक
	i. भोजन	3,62,600/- वार्षिक
	ii. डॉक्टर	62,400/- वार्षिक
	iii. दवाईयां	45,000/- वार्षिक
	iv. कपड़े,तेल,साबुन आदि	45,000/- वार्षिक
(घ)	मनोरंजन (पुस्तकों,पत्रिकाओं, समाचार-पत्र, भ्रमण (आउटिंग), धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, कैरम, शतरंज, ताश आदि जैसे खेल सहित)	37,000/- वार्षिक

2. रेस्पाइट केयर होम्स एंड कंटीनुअस होमस
(योजना के पैरा 4 (ii) में संदर्भित

इस योजना के अंतर्गत अनुदान सहायता उन एजेंसियों को दी गई है जिन्होंने सतत देखभाल के अतिरिक्त अनुदान के रूप में कम से कम 150 लाभार्थियों अथवा कम या अधिक विकलांगता वाले न्यूनतम 25 वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेस्पाइट केयर वृद्ध आश्रम चलाने में सराहनीय रिकार्ड दर्शाया है । वित्त पोषण के लिए मान्यता प्राप्त धर्मार्थ अस्पताल/नर्सिंग होम/चिकित्सा संस्थाएं/कालेज भी पात्र हैं । यदि परियोजना का आकार बड़ा हो (मान लीजिए 75 या 50 लाभार्थी), ऐसे वृद्धाश्रमों की देखरेख के लिए सहायता अनुदान की स्वीकृति उनके अनुपातिक आधार पर की जाएगी । निधि की उपयोगिता में नम्यता के लिए संगठनों को निम्नलिखित शीर्षों पर व्यय वहन करने की अनुमति दी जाएगी

(राशि रुपए में)

क्रम सं.	मद	दरें
1	आवर्ती व्यय (क से ड.)	*X श्रेणी - 10,52,800/- प्रति वर्ष, *Y श्रेणी - 10,04,800- प्रति वर्ष, *Z श्रेणी - 9,92, 800- प्रति वर्ष,
(क)	कर्मचारी मानदेय	
	i. डाक्टर	1,24,800/- वार्षिक
	ii. सुपरिडेन्ट/वार्डिग/मेनेजर	78,000/- वार्षिक
	iii. मिडवाइफ/नर्स	66,600/- वार्षिक
	iv. रसोइयां	44,400/- वार्षिक
	v. हेल्पर/स्वीपर	22,200/- वार्षिक
	vi. चौकीदार	22,200/- वार्षिक
	कुल (i) से (vi)	3,58,200/- वार्षिक
(ख)	भवन किराया (या यदि अपना भवन हो तो किराए की 10 प्रतिशत की दर से अनुरक्षण)	*X-1,68,000/- वार्षिक *Y-1,20,000/- वार्षिक *Z-1,08,000/- वार्षिक
(ग)	हेल्थ केयर (डाक्टर, औषधियां आदि) पोषण और सफाई (तेल, साबुन कपड़े आदि)	4,52,600/- वार्षिक
	i. पोषण	3,62,600/- वार्षिक
	ii. चिकित्सा/परीक्षण	45,000/- वार्षिक
	iii. विशेष साबुन, डायपर्स, डिस्पोजेवल आदि	45,000/- वार्षिक
(घ)	पैथोलॉजिकल टेस्ट सामग्री	37,000/- वार्षिक
(ड.)	विविध और अनुमानित (इलेक्ट्रीसिटी जल आदि)	37,000/- वार्षिक
II	गैर आवर्ती मदें (परियोजना को तैयार करते समय) :	2,22,000/-

3. **वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुसेवा केन्द्र**
(योजना के पैरा 4 (iii) में संदर्भित)

50 वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिवा-देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल, मनोरंजन, पीयर इंटरएक्शन, मनोरंजन और सहयोग, आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यक्रमों संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए किसी केन्द्र के संचालन हेतु एजेंसियों को सहायता अनुदान दिया जाता है। निधि की उपयोगिता में नम्यता के लिए संगठन को निम्न शीर्षों के अंतर्गत व्यय वहन करने की अनुमति दी जाएगी :

(राशि रु. में)

क्रम सं0	मदें	दरें
I.	**आवर्ती व्यय :** **(क से ड़)**	•X श्रेणी - 6,92,200 प्रतिवर्ष •Y श्रेणी - 6,65, 800 प्रतिवर्ष •Z श्रेणी - 6,62,200 प्रतिवर्ष
(क)	**कर्मचारी मानदेय**	
	(i) मैनेजर/सुपरिंटेंडेंट	66,600/- प्रतिवर्ष
	(ii) सामाजिक कार्यकर्ता	33,300/- प्रतिवर्ष
	(iii) केयर टेकर	22,200/- प्रतिवर्ष
	(iv) व्यवसायिक प्रशिक्षक/कुक	17,760/- प्रतिवर्ष
	(v) स्वीपर	13,320/- प्रतिवर्ष
	कुल (i) से (v)	**1,53,180/- प्रतिवर्ष**
(ख)	भवन किराया (या यदि अपना भवन हो तो किराए की 10 प्रतिशत की दर से अनुरक्षण)	•X-78,000/- प्रतिवर्ष •Y-51,600/- प्रतिवर्ष •Z-48,000/- प्रतिवर्ष
(ग)	स्वास्थ्य देखभाल (डॉक्टर, दवा और पोषक अनुपूरण)	4,03,300/- प्रतिवर्ष
(घ)	मनोरंजन (पुस्तक, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, सैर, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल जैसे कैरम, शतरंज, ताश के पत्ते इत्यादि	33,300/- प्रतिवर्ष
(ड़)	विविध और अप्रत्याशित (बिजली, पानी, टेलीफोन, स्टेशनरी इत्यादि)	24,420/- प्रतिवर्ष
II.	**अनवर्ती मदें (परियोजना को तैयार करते समय):**	
	(फर्नीचर, बर्तन, टेलीविजन, इंडोर गेम इत्यादि)	60,000/- प्रतिवर्ष
	कुल (I+II)	•X श्रेणी - 7,52,200/- •Y श्रेणी - 7,25, 800/- •Z श्रेणी - 7,22,200 /-

• X,Y, और Z शहरों की तीन श्रेणियां केन्द्रीय सरकार ने मकान किराया भत्ता आहरित करने के प्रयोजनार्थ वर्गीकृत हैं।

5. *अल्जाइमर/मनोभ्रंश बीमारी से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिवा देखभाल केन्द्रों का संचालन :*
(योजना का पैरा 4 (v) देखें)

योजना में अल्जाइमर/मनोभ्रंश बीमारी से पीड़ित 20 वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह कवर करने के लिए विशिष्टीकृत दिवा देखभाल केन्द्रों का संचालन और अनुरक्षण की व्यवस्था है। लाभार्थियों की संख्या में भिन्नता की स्थिति में, आवर्ती अनुदान में समानुपातिक रूप से समायोजन किया जाएगा। सिविल अस्पताल द्वारा इन रोगियों के इन बीमारियों से पीड़ित होने के बारे में प्रमाणित किया जाएगा। सहवासियों को उनकी बीमारी के बारे में सिविल अस्पताल से प्रमाणित कराने की आवश्यकता होगी।

इस परियोजना के अंतर्गत सहायता उन एजेंसियों को दी जाती है जिन्होंने वृद्धाश्रमों के संचालन अथवा लोगों के लिए निःशुल्क चिकित्सा देखभाल प्रदान करने में एक विश्वसनीय रिकार्ड प्रदर्शित किया है। मान्यता प्राप्त धर्मार्थ चिकित्सालया.नर्सिंग होम/ चिकित्सा संस्थाएं/कॉलेज भी पात्र हैं।

(राशि रू0 में)

क्रम सं0	*मदें*	*दरें*
I.	*आवर्ती व्यय : (क से ज)*	•X श्रेणी -12,88,000/- प्रतिवर्ष •Y श्रेणी -12,50,200/- प्रतिवर्ष •Z श्रेणी -12,41,800/- प्रतिवर्ष
a	*मेडिकल डॉक्टर*	1,24,800/- प्रतिवर्ष
b	*सामाजिक कार्यकर्ता*	1,11,000/- प्रतिवर्ष
c	*नर्स (3)*	3,33,000/- प्रतिवर्ष
d	*दवाएं*	77,700/- प्रतिवर्ष
e	*किराया*	•X-1,11,000 प्रतिवर्ष •Y-73,200 प्रतिवर्ष •Z-64,800 प्रतिवर्ष
f	*बिजली, पानी, टेलीफोन इत्यादि*	48,000/- प्रतिवर्ष
g	*मरीजों के लिए जलपान*	1,82,500/- प्रतिवर्ष
h	*परिवहन*	3,00,000/- प्रतिवर्ष
II.	*अनवर्ती मदें*	
	फर्नीचर, उपकरण इत्यादि की लागत	1,50,000/-
	कुल (I+II)	•X श्रेणी-14,38,000/- प्रतिवर्ष •Y श्रेणी-14,00,200/- प्रतिवर्ष •Z श्रेणी-13,91,800/- प्रतिवर्ष

• X,Y, *और* Z *शहरों की तीन श्रेणियां केन्द्रीय सरकार ने मकान किराया भत्ता आहरित करने के प्रयोजनार्थ वर्गीकृत हैं।*

c	डॉक्टर (अंशकालिक)	62,400/- प्रतिवर्ष
d	नर्स का मानदेय	55,500/- प्रतिवर्ष
e	चपरासी/स्वीपर/वाचमैन (3)	99,900/- प्रतिवर्ष
	कुल (क) से (ङ)	3,95,400/- प्रतिवर्ष
2.	भोजन प्रभार	6,66,000/- प्रतिवर्ष
3.	धुलाई प्रभार	90,000/- प्रतिवर्ष
4.	दवाएं	90,000/- प्रतिवर्ष
6.	टेलीफोन प्रभार 500/- प्रति माह	88,800/- प्रतिवर्ष
7	जल और बिजली 6000/- प्रति वर्ष	
8.	विविध प्रभार 3,000/- प्रति माह	
9.	भवन किराया (या यदि अपना भवन हो तो किराए की 10 प्रतिशत की दर से अनुरक्षण)	•X-1,68,000/- प्रतिवर्ष •Y-1,20,000/- प्रतिवर्ष •Z-1,08,000/- प्रतिवर्ष
II.	अनावर्ती मद (परियोजना की स्थापना के समय)	
	मदें जैसे फर्नीचर, बर्तन, टेलीविजन, इनडोर गेम इत्यादि	2,65,000/-
	कुल	•X श्रेणी 17,63,200/- •Y श्रेणी 17,15,200/- •Z श्रेणी 17,03,200/-

• X,Y, और Z शहरों की तीन श्रेणियां केन्द्रीय सरकार ने मकान किराया भत्ता आहरित करने के प्रयोजनार्थ वर्गीकृत हैं।

परिशिष्ट -VII

7. वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिजियोथैरेपी क्लीनिक
(योजना के पैरा 4 (vii) से संदर्भित)

इस परियोजना के अंतर्गत सहायता अनुदान फिजियोथैरेपी क्लीनिक चलाने में उत्कृष्टता वाली अथवा कम से कम 50 वरिष्ठ नागरिकों प्रतिमाह के लिए वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु फिजियोथैरेपी क्लीनिक चलाने वाली एजेंसियों को प्रदान किया जाता है। पंजीकृत धर्मार्थ अस्पताल/नर्सिंग होम/चिकित्सा संस्थान/महाविद्यालय भी पात्र हैं।

8. क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र
(योजना का पैरा 4 (viii) देखें)

क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्रों (आरआरटीसी) से यह आशा की जाती है कि वे मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख सहयोगी भागीदार की भूमिका अदा करें। उनसे यह भी आशा की जाती है कि वे क्लियरिंग हाउस के रूप में काम करें और क्षेत्रीय स्तर पर संसाधन केन्द्र की भूमिका अदा करें। उनके मुख्य कार्यकलापों में निगरानी करना और तकनीकी सहायता प्रदान करना, एडवोकेशी और नेटवर्किंग, मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्त पोषित केन्द्रों द्वारा दी जा रही सेवा की प्रभावी सुपुर्दगी के लिए प्रशिक्षण और क्षमता का निर्माण करना शामिल है। उनसे यह भी आशा की जाती है कि वे संबंधित राज्य सरकार के विभागों, स्थानीय निकायों, स्कूलों और कालेजों, नेहरू युवा केन्द्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना यूनिटों, पंचायती राज संस्थाओं आदि के साथ संबंध स्थापित करने हेतु अंततः संपर्क करें।

(राशि रुपए में)

क्रम सं.	मद	दर	कुल व्यय
I.	आवर्ती व्यय : (1 से 3)		*X श्रेणी के लिए -12,56,000/- वार्षिक, *Y श्रेणी के लिए - 12,12,800/- वार्षिक, *Z श्रेणी के लिए- 11,84,800/- वार्षिक
1.	मानव संसाधन		
क	परामर्शदाता	18000/- मासिक	2,16,000/- वार्षिक
ख	समन्वयक	13000/- मासिक	1,56,000/- वार्षिक
ग	सहायक स्टाफ (2)	11100/- मासिक	1,33,200/- वार्षिक
घ	लेखा-व-कंप्यूटर आपरेटर	9000/- मासिक	1,08,000 वार्षिक
	कुल (क) से (घ)		6,13,200/- वार्षिक
2.	(क) बाइंडिंग प्रिंटिंग, स्टेशनरी और डाक टिकट (रीडर फ्रेंडली सामग्री, पाठ्यक्रम सामग्री, एडवोकेसी सामग्री)	75000/- वार्षिक	1,23,000/- वार्षिक
	(ख) टेलीफोन/इंटरनेट प्रभार 4000/- प्रति माह की दर से	48000/- वार्षिक	
3.	(i) भवन का किराया (स्वयं के भवन के मामले में किराए का 10 प्रतिशत की दर से रख-रखाव)		*X-2,16,000 वार्षिक *Y-1,72,800 वार्षिक *Z-1,44,000 वार्षिक
	(ii) वाहन किराया और ईंधन	12000 मासिक	1,44,000/- वार्षिक
	(iii) वार्षिक क्षेत्र स्तरीय कार्यशाला		46,000/- वार्षिक

	(ख) दो मनोवैज्ञानिकों का मानदेय/शुल्क	3,33,000/- वार्षिक
	(ग) सामाजिक कार्यकर्त्ता	1,56,000/- वार्षिक
	(घ) एटेंडेंट्स (संख्या 2)	1,77,600/- वार्षिक
	(ङ.) प्रशासनिक व्यय (बिजली, दूरभाष बिल, स्टेशनरी, प्रचार, डाक टिकट, वाहन, पुस्तकें/आवधिक पत्रिकाएं, विविध व्यय, आदि)	1,20,000/- वार्षिक
II.	अनावर्ती मदें (परियोजना की स्थापना करते समय) (फर्नीचर, दूरभाष प्रणाली, फिटिंग आदि)	1,50,000/-
	कुल	*X श्रेणी के लिए - 10,02,600/ वार्षिक, *Y श्रेणी के लिए - 9,81,000/- वार्षिक, *Z श्रेणी के लिए – 9,75,000/- वार्षिक

* X,Y, और Z केन्द्र सरकार में मकान किराया भत्ता आहरित करने के प्रयोजनार्थ वर्गीकृत शहरों की तीन श्रेणियां हैं।

11. माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण (एमडब्ल्यूपीएससी) अधिनियम, 2007 और राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति (एनपीएसआरसी) से संबंधित परियोजनाओं सहित जागरूकता सृजन परियोजनाएं। (योजना का पैरा 4(ix) देखें)

स्वैच्छिक आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करने संबंधी अभियान चलाने का अनुभव एवं प्रमाणित ट्रैक रिकार्ड वाले संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को सहायता अनुदान संस्वीकृत किया जाएगा। नेहरू युवा केन्द्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना यूनिट, पंचायती राज संस्थाएं, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, स्थानीय निकाय आदि भी इसके पात्र हैं। एकबारगी एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा और अनुदान की मात्रा मामला-दर-मामला के आधार पर तय की जाएगी तथा वह कार्यक्रमों की संख्या/आकार पर भी निर्भर होगा।

(राशि रुपए में)

क्रम सं.	मद	दर
1.	एआईआर में 15 मिनट के एक स्लाट हेतु मासिक रेडियो कार्यक्रम (प्रोडक्शन एंड ब्रोडकास्टिंग लागत)	एआईआर में प्रत्येक महीने कम से कम एक कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। एक एपिसोड की प्रोडक्शन लागत के प्रति 50,000/- रुपए तक वार्षिक अनुदान का प्रस्ताव है। प्रसारण लागत, यदि कोई हो, वास्तविक आधार पर होगी।
2.	अलग-अलग स्थानों पर स्थानीय भाषाओं में नुक्कड़ नाटिकाएं	15,000/- रुपए प्रति कार्यक्रम की दर से कम से कम प्रति माह एक कार्यक्रम का प्रस्ताव है।
3.	अलग-अलग स्थानों पर स्थानीय भाषाओं में सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन वरिष्ठ नागरिकों और देखभाल करने वालों के लिए विशेषज्ञों के साथ और साहित्य का वितरण	100 प्रतिभागियों के लिए 10,000/- रुपए प्रति कार्यक्रम की दर से, कम से कम प्रत्येक तिमाही में एक कार्यक्रम का प्रस्ताव है।

12. ***वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वैच्छिक ब्यूरो***
(योजना का पैरा 4(xii) देखें)

वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वैच्छिक ब्यूरो को संचालित करने के लिए सहायता-अनुदान जारी किया जाता है। समाज के लाभ के लिए वरिष्ठ नागरिकों के कौशलों, प्रतिभा और अनुभव का उपयोग करने के लिए, और साथ ही इनकी सामाजिक स्थिति को पुनः स्थापित करने के लिए, वरिष्ठ नागरिक इस ब्यूरो के पास पंजीकृत होते हैं और अपनी मूल्यवान सेवाएं संगठनों, अस्पतालों, स्कूलों, शारीरिक या मानसिक बाधाओं से ग्रसित बच्चों की संस्थाओं को प्रदान करते हैं। ब्यूरो स्वयं सेवकों की आवधिक बैठकों को भी आयोजित करेगा ताकि इनके अनुभव की समीक्षा के साथ कार्य योजना प्रस्तुत की जा सके। ब्यूरो के प्रयासों का उद्देश्य स्वयंसेवा कार्य को एक जन आंदोलन बनाना और इसी तर्ज पर अन्य शहरों को अनुसरण करने के लिए प्रेरित करना है। इस संगठन को संगठित सेक्टर में प्रतिवर्ष कम से कम 100 प्लेसमेंट के लिए निम्नलिखित शीर्षों पर व्यय करने की अनुमति होगी।

(राशि रुपए में)

क्रम सं.	मद	दर
I.	***आवर्ती व्यय : (क से घ)***	***X श्रेणी के लिए 2,19,600/- वार्षिक, *Y श्रेणी के लिए 2,08,800/- वार्षिक, *Z श्रेणी के लिए 2,07,600/- वार्षिक**
	क) वेतन एवं मानदेय	**1,20,000/- वार्षिक**
	ख) भवन का किराया (स्वयं के भवन के मामले में किराए का 10 प्रतिशत की दर से रख-रखाव)	***X-33,600 वार्षिक *Y-22,800 वार्षिक *Z-21,600 वार्षिक**
	ग) टेलीफोन, फैक्स, डाक व्यय, प्रिटिंग स्टेशनरी और अन्य विविध व्यय	**42,000/- वार्षिक**
	घ) स्वयंसेवकों के लिए किट और वर्कशॉप/इवेन्ट व्यय	**24,000/- वार्षिक**
II.	***अनावर्ती मदें (स्वीकृति के समय) कार्यालय फर्नीचर, टेलीफोन, कम्प्यूटर इत्यादि पर व्यय***	**66,600/- वार्षिक**
	कुल	***X श्रेणी के लिए 2,86,200/- *Y श्रेणी के लिए 2,75,400/- *Z श्रेणी के लिए 2,74,200/-**

**** X,Y, और Z केन्द्र सरकार में मकान किराया भत्ता आहरित करने के प्रयोजनार्थ वर्गीकृत शहरों की तीन श्रेणियां हैं।***

		*Z श्रेणी के लिए 3,74,400/-

* X,Y, और Z केन्द्र सरकार में मकान किराया भत्ता आहरित करने के प्रयोजनार्थ वर्गीकृत शहरों की तीन श्रेणियां हैं।

एकीकृत वृद्धजन कार्यक्रम के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान।

एकीकृत वृद्धजन कार्यक्रम के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान के लिए आवेदन व मॉनीटरिंग प्रपत्र

(पहली किस्त और नए मामलों के लिए)

भाग - क

1. वित्त वर्ष जिसके लिए सहायता अनुदान हेतु आवेदन किया गया.	________
2. संगठन का नाम.	________
3. (क) परियोजना का स्वरूप:	________
(ख) परियोजना को प्रारंभ करने की तारीख.	____ / ____ / ____
(ग) परियोजना के लिए भारत सरकार से सहायता अनुदान के प्रारंभ होने का वर्ष.	________
(घ) क्या परियोजना को राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है.	हां । नहीं
4. संगठन का पंजीकरण करने की तारीख.	____ / ____ / ____
5. पंजीकृत कार्यालय का पता.	________ (एसटीडी कोड) टेली. नं.: (एसटीडी कोड) फैक्स नं.: ईमेल.
6. (क) स्थल का पूर्ण पता जहां कार्यक्रम/परियोजना/योजना को कार्यान्वित किया जाना है.	________ (एसटीडी कोड) टेली. नं.: (एसटीडी कोड) फैक्स नं.: ईमेल.
(ख) निकटतम रेलवे स्टेशन/बस स्टैण्ड.	________
7. क्या भवन.	स्वयं का । किराए पर । पट्टे पर । दान में मिला हुआ है। (कृपाया उपयुक्त बाक्स के सामने √ को अंकित करें)

3. केन्द्र में रहने वाले लाभार्थियों की श्रेणीपृष्ठभूमिः/

	संख्या	प्रतिशत
i. निम्न आयस्वयं की सहायता नहीं कर सकते हैं/		
ii. उच्च आयकिंतु देखभाल करने वाला कोई नहीं ,		
iii. विधवाविधुर/		
iv. देखभाल करने के लिए संतान नहीं		
v. संतान हैंकिंतु देखभाल नहीं करते हैं। ,		
vi. गंभीर रूप से बीमार हैं और इस कारणपरिवार द्वारा उनका परित्याग कर , दिया गया है		
vii. परिवार में झगड़ा होने की वजह से केन्द्र में रह रहे हैं।		
viii. समाज सेवा करने के उद्देश्य से केन्द्र में रहना शुरू किया।		
ix. केन्द्र ज्वाइन करने का कोई अन्य कारण		

4. केन्द्र में निम्नलिखित सुविधाओं की उपलब्धताः

बिजली	पेयजल	शौचालय की सुविधा

5. वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सीय जांच और इलाज का ब्यौराः

i) *दवाइयों पर वार्षिक व्यय*

चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष

ii) *क्या पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध है।*

पूर्णकालिक	अंशकालिक

iii) *यदि डॉक्टर की उपलब्धता अंशकालिक रूप से है की संख्या (विजिट) प्रतिमाह दौरा ,*______________

iv) *प्रति दौरा अंशकालिक डॉक्टर को प्रदत्त शुल्क* ________________ *रुपये*

v) *क्या कोई नर्सिंग सेवा उपलब्ध है* *नहीं/हां*

vi) *पूरे वर्ष के दौरान सेवा प्राप्त लाभार्थियों की संख्या (एमएमयू के मामले में)*__________________

vii(*एमएमयू के मामले में) प्रति माह मोबाइल वैन द्वारा किए गए दौरों की औसत संख्या (* ____________

viii) *पूरे वर्ष के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा वृद्धजनों के इलाज हेतु उनके साथ संपर्क करने की संख्या संस्थागत सेवाओं के मामले -गैर)*
*(में*__________________________

6. पोषण सहायता (डीसीसी के मामले में/ओएएच):

प्रतिदिन भोजन की संख्या	सुबह का नाश्ताशाम की चाय/	औसत दैनिक खर्च

7. मनोरंजन के लिए व्यवस्था

समाचार पत्र	

भाग - ग

12. संगठन का निधि प्रवाह:

निम्नलिखित पर व्यय का ब्यौरा:	समग्र संगठन के लिए			इस परियोजना के लिए		
	क्रम सं. 3 (ग) भाग-क में इंगित सहायता अनुदान सहायता के वित वर्ष का पूर्ववर्ती वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष (नई परियोजनाएं)	चालू वर्ष बजटीय/वास्तविक	क्रम सं. 3 (ग) भाग-क में इंगित सहायता अनुदान सहायता के वित वर्ष का पूर्ववर्ती वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष बजटीय/वास्तविक
I. वित्त वर्ष						
II. कुल आय, जिसमें से: (i) कार्यालय के कार्मिकों द्वारा वित पोषित, प्राइवेट सेक्टर से अंशदान						
(ii) विदेशी अंशदान से वित्त पोषी						
(iii) स्थानीय निकाय तथा सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन/राज्य सरकार						
(iv) केंद्र सरकार से अनुदान कृपया पृथक रूप से प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/कैपार्ट से इंगित करें)						
(v) लाभार्थी अंशदान/प्रयोक्ता प्रभार						
(vi) विविध आय						
(vii) ऊपर उल्लिखित नहीं कोई अन्य स्रोत (विनिर्दिष्ट करें)						

(vi) संगठन द्वारा वहन की गई सामग्री लागत: (पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए) क) ________ ख) ________ ग) ________						
(vii) प्रति लाभार्थी लागत:						

13. सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि सूचना रिकॉर्डों के अनुसार है तथा लेखाओं की लेखा परीक्षा कर दी गई है/की जानी है तथा संगठन के कार्मिकों के सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास की दृष्टि से सही है और इसके अवलोकन एवं संतोष के पश्चात, उन्होंने दिनांक ....के संकल्प के तहत अधोहस्ताक्षारी को प्राधिकृत है कि वह सामाजिक न्याय और अधिकारिदा मंत्रालय, भारत सरकार से जिस योजना के लिए सहायता अनुदान प्राप्त किया गया था, उसकी निगरानी के प्रयोजनार्थ सूचना के विवरण को सत्यापित कर प्रस्तुत करें।

2. मैं एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैंने इस योजना के नियमों एवं विनियमों को पढ़ा हूं और मैं उन्हें पालन करने की शपथ लेता हूं। इस प्रबंधन की ओर से, मैं निम्नलिखित शर्तों के प्रति अपनी सहमति भी व्यक्त करता हूं:

a. केंद्रीय अनुदान से पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से अर्जित सभी परिसंपत्तियों को उन प्रयोजनों जिनके लिए यह अनुदान प्रदान किया गया है, के सिवाय किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए भारग्रस्त अथवा उपयोग नहीं किया जाएगा यदि संगठन किसी भी समय बंद हो जाता है, ऐसी संपत्तियां भारत सरकार के पास वापस हो जाएंगी।

b. परियोजना की लेखाओं का उपयुक्त रूप से एवं पृथक रूप से रखरखाव किया जाता है। भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी उनकी कभी भी जांच की जा सकेगी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विवेक पर उनकी कभी भी जांच परीक्षण किया जा सकता है।

c. क्या राज्य अथवा केंद्र सरकार के पास यह विश्वास करने का कोई आधार है कि अनुदान का उपयोग अनुमोदित प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा रहा है; भारत सरकार आगे की किस्तों का भुगतान रोक सकती है और पूर्ववर्ती अनुदान की वसूली किसी भी तरीके से कर सकती है जैसा कि वह निर्णय लें।

d. यह संगठन समय-समय पर भारस सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप संगठन के कार्यकलाप हेतु अपेक्षित पदों के प्रति नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों/विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के प्रति सहमत है।

e. एतद् द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि किसी अन्य स्रोत (सरकारी, निजी अथवा बाह्य) से इसी परियोजना के लिए कोई अनुदान प्राप्त नहीं हो रहा है।

भवदीय,

वरिष्ठ नागरिको के लिए
चिकित्सा संबंधित ओदश

वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क एवं चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराने के संबंध में

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : चि/9/एमआर/07/814–914

दिनांक 31.08.2007

चिकित्सा विभाग द्वारा सभी जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो व अन्य राजकीय चिकित्सा केन्द्रो पर 01.04.2007 से 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिको को बीपीएल मरीजो की भांति चिकित्सा व जाँच निःशुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान किए गए थे।

निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्य के चिकित्सा संस्थाओं के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि अधिकतर नागरिको की आयु का प्रमाणीकरण नहीं होने के कारण उन्हें यह सुविधा नहीं मिल पा रही है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि वरिष्ठ नागरिको की आयु का प्रमाणिकरण पैन कार्ड/राशन कार्ड/पेशंन कार्ड/फोटो पहचान पत्र/ड्राइविंग लाईसेन्स/पासपोर्ट आदि से करें व उन्हें यह निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करावें, यदि उपरोक्त दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं है, तो चिकित्सक स्वयं के विवके से भी आयु प्रमाणीकरण कर वरिष्ठ नागरिकों को उक्त सुविधा का लाभ प्रदान करें।

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प–17(31)चिस्वा/2/2007

जयपुर, दिनांक 10.04.2007

राजस्थान सरकार द्वारा 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिको को सभी राजकीय अस्पतालों में बीपीएल मरीजो की भांति चिकित्सा निःशुल्क चिकित्सा एवं नैदानिक जाँच उपलब्ध कराये जाने की घोषणा की है।

अतः माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय द्वारा की गई उक्त घोषणा की क्रियान्वित सभी राजकीय जिला चिकित्सा केन्द्रों पर 1 अप्रैल, 2007 से किया जाना सुनिश्चित करते हुये 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिको को बीपीएल मरीजो की भांति निःशुल्क चिकित्सा एवं नैदानिक जाँच उपलब्ध करावें एवं की गई कार्यवाही से निदेशालय को अवगत करावें।मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के संशोधित नियमावली 2007 में भी इस योजना का समावेश कर दिया गया है।

Government of Rajasthan

Directorate of Medical, Health&F.W. Services Rajasthan, Jaipur

Through vide letter No./HA/09/55-140 Date: 06.03.2009 Directed to all PMO's/CMHO's For regarding Provision of Medical facilities to the elderly persons:-

1. A few beds are earmarked for senior citizens for providing them medical care.
2. A separate queue is arranged for elderly patient at places like registration counters, laboratory counters&durg distribution counter in outdoor.
3. Facility for treatment of chronic, terminal and degenerative diseases is expanded for senior citizens.
4. A Medical Officer with experience in geriatric medicine is made responsible for care of elderly patient in each District Hospitals.

Dr. S.N. Medical college has already been identified as specific center for geriatric care & for providing the assistance under the programme.

अन्य आवश्यक सूची

14

जिले में वृद्धाश्रम एवं डे–केयर संचालित करने वाले एन0जी0ओ0 की सूची

क.सं.	जिले का नाम	अधिकारी नाम	दूरभाष नम्बर	क.सं.	सचिव/अध्यक्ष एवं स्वयं सेवी संस्था का नाम	दूरभाष	संचालित केन्द्र का स्थान	स्वीकृत क्षमता	योजना/केन्द्र
1	जयपुर	उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर शहर जयपुर	0141–2786442	1	श्रीमती सुधा मित्तल नारी चेतना समिति, बी 226ए, जनता कालोनी, जयपुर	9314507912	अमृतपुर गाधी स्कूल के पास, टासपोट नगर कच्ची बस्ती, जयपुर	25	वृद्धाश्रम
				2	श्रीमती उषा भार्गव, अध्यक्ष, आलोक प्रसार समिति, 1/23 मालवीय नगर, जयपुर	0141–2754025, 9414338743	ए–315–16, सुमेरसिंह यादव का मकान, सामेश्वरपुरी, रा.मा.वि., बाईजी की कोठी, झालाना डूंगरी, जयपुर	25	डे–केयर
				3	श्री राकेश कुमार खिची, रोशनी जन चेतना महिला प्रशिक्षण संस्थान, 1466 जय भवन, सुभाष चौक, जयपुर	9414248040	1466, जय भवन, थाने के सामने, सुभाष चौक, जयपुर	25	डे–केयर
				4	श्री सत्यनारायण नागर, जनहित मानव विकास समिति, ए–93 हीदा की मोरी के बाहर लक्ष्मीनारायणपुरी, खटीकन स्कूल के पास, जयपुर।	9414887960	कुम्हारो का मौहल्ला, खोनागोरियान, जगतपुरा रोड, जयपुर।	25	डे–केयर
				5	शिमला, श्री के एल शर्मा, इण्डियन जेरोन्टो लोजिकल एसोसियेशन, सी 207, मनुमार्ग तिलक नगर, जयपुर।	0141–2621693, 9461163352	ए–266, सोमेश्वरपुरी, बाईजी की कोठी, झालाना डूंगरी, जयपुर।	25	डे–केयर
				6	श्री विनोद चौधरी, अनुभव शैक्षिक प्रशिक्षण सांस्कृतिक एवं सामा विकास संस्थान, 64 डिफेन्स कानोली, सुग्रीव मार्ग, वैशालीनगर, जयपुर।	9414044707	ए–65, शिव विहार, खातीपुरा, जयपुर।	25	डे–केयर
2	भरतपुर	उप निदेशक, सामाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग	05644–223576	1	अधीक्षक, राजकीय वृद्वाश्रम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सेवर के पास, भरतपुर।		सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सेवर के पास, भरतपुर।	25	वृद्धाश्रम
				2	श्रीमती पदमसिंह, लोहागढ औद्योगिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, गोलबाग रोड, भरतपुर।	9414268068	महेन्द्र कैन का मकान, अमर टेन्ट हाउस, सूरजपोल गेट के पपास, भरतपुर।	25	वृद्धाश्रम
				3	श्री थानसिंह, ऋषभ मानव सेवा संस्थान ग्राम व पोस्ट चैटोली तहसील भुसावर में	9928645601	तहसील भुसावर जिला भरतपुर।	25	वृद्धाश्रम
				4	माँ माधुरी ब्रजवारिस सेवा समिति, अछनेरा रोड, भरतपुर	9414023049	अपना घर, अछनेरा रोड, गॉव बझेरा, भरतपुर	25	वृद्धाश्रम
				5	श्री नन्द किशोर मुदगल, श्री जनजीवन कल्याण सस्थान कातवान	9413307998	कायथान मौहल्ला, नगर, भरतपुर	25	डे–केयर
				6	श्रीमती लोहागढ औद्योगिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, कातवान	8058181668	जघीना गेट, गोपालगढ, भरतपुर	25	डे–केयर
3	बीकानेर	उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	0151–2226681	1	श्री अशोक कुमार मूधडा, राम प्रताप हनुमानदास मूधडा चेरिटेबल ट्रस्ट	9414147142	वृन्दावन एन्कलेव, जयपुर रोड के पास बीकानेर	100	वृद्धाश्रम
				2	श्री कैलाश चावरिया, जय भीम वाल्मीकी समाज सुधार संस्थान, नत्थुसर गेट के बाहर, बीकानेर	9252128005	12/52 मुक्ताप्रसाद नगर, बीकानेर	25	वृद्धाश्रम
4	जोधपुर	उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	0291–2433473	1	राजकीय वृद्वाश्रम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग		नारी निकेतन परिसर नागौर रोड, जोधपुर	25	वृद्धाश्रम
				2	श्री भीयाराम अध्यक्ष, सिम्बल संस्थान, के–6, ज्योतिनगर, जोधपुर	9460588145	चांदना भाखर, सोमानी कॉलेज रोड, जोधपुर	25	डे–केयर

क्र.सं.	जिले का नाम	अधिकारी नाम	दूरभाष नम्बर	क्र.सं.	सचिव/अध्यक्ष एवं स्वयं सेवी संस्था का नाम	दूरभाष	संचालित केन्द्र का स्थान	स्वीकृत क्षमता	योजना/केन्द्र
7	बारां	सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बारां	07453–237121	1	श्रीमती निर्मला शक्यवाल, लोक विकास समिति बारां	9887613236	सरदार कॉलोनी, अन्ता	25	वृद्घाश्रम
				2	श्री ललित वैष्णव, संस्कार सेवा संस्थान किशनगढ़, मांगरोल बारां	9414330119	सत्यनारायण मन्दिर के पास, पुरानी पानी की टंकी, मांगरोल	25	वृद्घाश्रम
				3	श्री रामप्रताप, बाबा रामदेव वृद्घाश्रम पारलिया अटरू, बारां	9785188751	सस्कृत स्कूल के पास, गायत्री नगर, अटरू बारां	25	वृद्घाश्रम
				4	श्री कृष्णकांत यादवेन्द्र, युक्ता जन कल्याण समिति, बारां	9828322433	पअवारीजी का मकान पुलिस थाने के पीछे, छबडा बारां	25	वृद्घाश्रम
				5	श्री हरिश वैष्णव, केशव जन कल्याण समिति, 1 जे–29 जवाहर नगर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बारां	9460005815	1–जे–29, जवाहर नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, झालावाड रोड, बारां	25	डे–केयर
				6	श्री ललित वैष्णव, युवा विकास संस्था, किशनगंज बारां	9414330119	एस बी आई बैंक के सामने कोटा रोड, बारां	25	डे–केयर
				7	श्री मांगीलाल नागर, जय हनुमान सेवा संस्थान, रामपुरिया तह. अटरू, जिला बारां	8003414474	ग्राम रामपुरिया तह. अटरू जिला बारां	25	डे–केयर
8	सवाईमाधोपुर	सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	07462–220467	1	श्री रविन्द्र बसावतिया, प्रयास संस्थान, 106, राजविहार कॉलोनी, दशहरा मैदान सवाईमाधोपुर	9414031250	राजकीय उ0मा. विद्यालय के पास आलनपुर सवाईमाधोपुर	25	वृद्घाश्रम
9	धौलपुर	सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	05842–240878	1	श्री शिवशंकर , श्री बिजेश मुखरैया ग्रामीण सेवा संस्थान वाटरवर्क्स चौराहा जी टी रोड, धौलपुर	9414887848	मीठा चौफडा, पुरानी छावनी, धौलपुर	25	वृद्घाश्रम
10	गंगानगर	सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	0154–2463582	1	श्री प्रीतमपाल सिंह, भामाशाह श्योनारायण प्रबन्ध सेवा समिति, अनूपगढ, श्रीगंगानगर	9672185366	वार्ड–17, बाबारामदेव मन्दिर के पास, अनूपगढ श्रीगंगानगर	25	वृद्घाश्रम
				2	यौवन संस्थान, श्रीगंगानगर	9825765579	वार्ड–7, करणपुर, श्रीगंगानगर	25	वृद्घाश्रम
				3	शहीद भगतसिंह मेमोरियल स्कूल समिति, पतरोडा अनूपगढ, गंगानगर	9610344551, 9950977334	12एच, हिशामकी प0सं0 अनूपगढ, श्रीगंगानगर	25	वृद्घाश्रम
				4	श्री अशोक सिंघल, सचिव यौवन संस्थान 3/25, हाउसिंग बोर्ड, श्रीगंगानगर	0154–247608	वार्ड नं. 4, सुभाष पार्क के पास, केसरीसिंहपुरा, श्रीगंगानगर	25	डे–केयर
11	उदयपुर	उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	0294–2410772	1	श्री दुर्गेश कुमार वर्मा, अध्यक्ष पूजा संस्थान, गोराणा, उदयपुर	02959–270058, 9636846135,9414	पूनमचन्द पाण्डिया का मकान, तह. झाडोल, उदयपुर	25	वृद्घाश्रम
				2	श्री दुर्गेश कुमार वर्मा, अध्यक्ष पूजा संस्थान, गोराणा, उदयपुर	02959–270058	पुराना बस स्टैण्ड, झाडौल,(फलसिया), उदयपुर	25	डे–केयर
				3	कल्पना गोयल, तारा संस्थान, 236 हिरण मगरी, उदयपुर	9549399993	हिरण मगरी सैक्टर 6 थाने के पीछे, उदयपुर	25	वृद्घाश्रम
12	पाली	सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग	02932–222706	1	सेवा समिति, पाली		उन फैक्ट्री के पास रेलवे क्वाटर्स के पीछे, पाली	50	वृद्घाश्रम
13	जालौर	सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग	02973–222486	1	श्री बसनाराम गर्ग, हनुमान सेवा समिति, जालौर	9413373082	लालपोल के अन्दर, जालौर	25	डे–केयर
14	झुन्झुनू	सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग	01592–232884	1	श्रीमती नीलम, नीलम महिला एवं बाल कल्याण समिति, मोहल्ला खटीकान वार्ड नं. 15 उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू	900138458	वार्ड नं. 20 उदयपुरवाटी झुन्झुनू	25	डे–केयर
15	दौसा	सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग	01427–223440	1	श्री प्रेमचन्द राणा अध्यक्ष सोशियल डवलपमेंट सोसायटी, वार्ड न. 26 खटीकॉन मोहल्ला दौसा	9828093825	फलसेवाले बालाजी के पास, दौसाखुर्द, दौसा	25	डे–केयर

सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग के जिलाधिकारी

(समाज कल्याण विभाग से संबंधित स्कीम के समाधान हेतु नियुक्त अधिकारियों की सूची)

क.सं	जिले का नाम	एस टी डी कोड	दूरभाष नम्बर
1	आयुक्त / निदेशक जयपुर	0141	2220258
2	अतिरिक्त निदेशक, जयपुर	0141	2220194
3	उप निदेशक, जयपुर	0141	2220695
4	उप निदेशक, बीकानेर	0151	2226681
5	उप निदेशक, अजमेर	0145	2623044
6	उप निदेशक, कोटा	0744	2325491
7	उप निदेशक, उदयपुर	0294	2410772
8	उप निदेशक, भरतपुर	05644	223576
9	सहायक निदेशक, दौसा	01427	223440
10	सहायक निदेशक, सीकर	01572	248940
11	सहायक निदेशक, झुन्झुनू	01592	232884
12	सहायक निदेशक, श्रीगंगानगर	0154	2463582
13	सहायक निदेशक, करौली	01432	254597
14	सहायक निदेशक, टोंक	01432	254597
15	सहायक निदेशक, भीलवाडा	01482	232678
16	सहायक निदेशक, जोधपुर	0291	2433473
17	सहायक निदेशक, बांरा	07453	237121
18	सहायक निदेशक, बूंदी	0747	2443751
19	सहायक निदेशक, चित्तौडगढ	01472	241083
20	सहायक निदेशक, डूंगरपुर	02964	232264
21	सहायक निदेशक, बांसवाडा	02962	224444
22	सहायक निदेशक, नागौर	01582	240798
23	सहायक निदेशक, जैसलमेर	02992	252517
24	सहायक निदेशक, बाडमेर	02982	230009
25	सहायक निदेशक, पाली	02932	222706
26	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, अलवर	0144	2344012
27	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, चूरू	01562	250943
28	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, हनुमानगढ	01552	261187
29	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, झालावाड	07432	231215
30	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, राजसमंद	02952	221169
31	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, प्रतापगढ़	01478	221535
32	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सिरोही	02972	222544
33	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, जालौर	02973	222486
34	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी ,धौलपुर	05842	240878
35	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सवाई माधोपुर	07462	220467

जिले में स्थापित सरकारी वृद्धाश्रम की सूची

क.सं.	जिले का नाम	सरकारी वृद्धाश्रम का नाम	पता	दूरभाष नम्बर	ई–मेल
1	अजमेर	राजकीय वृद्ध एवं अशक्त गृह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, पुष्कर	केशनगर, हाईस्कूल के पास, वैष्णव धर्मशाला के सामने, प्राचीन गणेश मन्दिर के पास, पुष्कर	0145–2440623	sjeajmer@yahoo.com
2	भरतपुर	राजकीय वृद्धाश्रम, भतरपुर	सेवर–मथुरा बाई पास रोड, भतरपुर	05644–223576	–
3	बीकानेर	राजकीय वद्धाश्रम	वृन्दावन एन्केलव, जयपुर रोड, बीकानेर	9414147142	apnagharbikaner@gmail.com
4	जोधपुर	राजकीय वृद्धाश्रम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जोधपुर	नारी निकेतन परिसर, मण्डोर पुलिस थाने के पिछे 8 मील मण्डोर जोधपुर	0291–2433473	sjejodhpur@yahoo.com

जिले में स्थापित गैर सरकारी वृद्धाश्रम की सूची

क.सं.	जिले का नाम	गैर सरकारी वृद्धाश्रम का नाम	पता	दूरभाष नम्बर
16	हनुमानगढ	अपराघर वृद्धाश्रम	आईसीआईसीआई बैंक के पीछे हनुमानगढ	9667622748
		समाज सुधार मंच	संगरिया, हनुमानगढ	9413378790
17	जयपुर महानगर	नारी चेतना समिति	अमृतपूरी गांधी स्कूल के पास, ट्रांसपोर्ट नगर कच्ची बस्ती जयपुर	0141–4038575, 9314507912
		आलोक प्रसार समिति,	ए–35 सुमेरसिंह यादव का मकान, सामेश्वरपुरी, रा.मा.वि.बाईजी की कोठी झालाना डूंगरी, जयपुर	0141–2754025, 9414338743
		रोशनी जनचेतना महिला प्रशिक्षण संस्थान	1466 जयभवन थाने के सामने सुभाष चौक जयपुर	0141–2661184
		जनहित मानव विकास समिति	खोनागोरियन जगतपुरा रोड, जयपुर	9414887960
		इण्यिन जेरोन्टोलोजिकल एसोसियेशन	ए–266 सोमेश्वरपुरी बाईजी की कोठी झालाना डूंगरी	0141–2655288
		अनुभव शैक्षिक प्रशिक्षण सांस्कृति एवं सामाजिक विकास संस्थान	ए–65 शिवविहार खातीपुरा जयपुर	0141–2621693
18	जयपुर जिला	सांध्य नीड, वृद्धाश्रम	गोविन्दगढ, जयपुर	01423–223686
19	जैसलमेर	जगमाल कल्याण संस्थान	पन्नासर, तहसील पोकरण जिला जैसलमेर	9460806786
20	जालौर	संचालित नहीं	–	–
21	झालावाड	श्रीमन् नारायण	मैला मैदान, झालरापाटन, जिला झालावाड	–
22	झुंझुनू	संचालित नहीं	–	–
23	जोधपुर मेट्रो	आस्था केन्द्र	अग्रसेन नगर, पालरोड, जोधपुर	9829021745
		अनुबंध संस्थान	निम्बा निम्बडी नागौर रोड	9829028386
		जोधाणा वृद्धाश्रम	महामंदिर जोधपुर	7688887999
24	जोधपुर जिला	संचालित नहीं	–	–
25	कोटा	भारत माता सेवा समिति कोटा	हरिओम नगर कच्ची बस्ती	9413276265
		जागृति मन्दिर समिति, कोटा	इंडियन पेट्रोल पम्प के पास, झालावाड रोड अनन्तपुरा	9414569562
		चौपडा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान	डडवाडा, कोटा	9414764292
		युक्ताजन कल्याण समिति	3 आई 101 महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा	9352603016
		गंगा विजन	बजरंग नगर, कोटा	9468629535
		विनायक रिसर्च एण्ड वेलफेयर सोसाईटी	कैथून, कोटा	9571436959
		गांधी ग्रामीण विकास संस्थान	2 डी 1 म.न. महावीर नगर विस्तार योजना	9828236943
		राजस्थान अनुसूचित जाति महिला एवं शिशु विकास समिति	बपावर रोड पेट्रोल पंप के पास सेन कॉलोनी, सांगोद	9887593101
		राजस्थान अनुसूचित जाति महिला एवं शिशु विकास समिति	ढकनिया स्टेशन एस.आर.पब्लिक स्कूल के पास कोटा	–
		महावीर इन्टरनेशनल	ओ सी एफ–डी–2 श्री नाथपुरम् कोटा	9414184112
26	करौली	वृद्धावस्था वृद्धाश्रम	बीजबड बालाजी के पास, टोडाभम	–

जिले में स्थापित गैर सरकारी वृद्धाश्रम की सूची

क.सं.	जिले का नाम	गैर सरकारी वृद्धाश्रम का नाम	पता	दूरभाष नम्बर
27	मेड़ता सिटी	मीरा सेवा संस्थान	जोधपुर चौकी, मेडतासिटी	9610558383
		परमानन्द सेवा संस्थान	मोररा रोड, मेडतासिटी	9414119025
28	पाली	रूपमुनि साव्रजनिक वृद्धाश्रम एवं अतिथिगृह	रानी रोड, नाडोल	–
		सोजत सेवा मण्डल	कृषि उपज मण्डी समिति रोड, सोजत	–
		वृद्धाश्रम सेवा समिति	रेलवे स्टेशन के पीछे पुरानी ऊन मील, पाली	02932–280784
		श्री वर्धमान जैन	बोर्डिंग हाउस, सुमेरपुर	–
29	प्रतापगढ़	श्रीराम वृद्धाश्रम	ग्राम कुलमीपुरा प्रतापगढ	–
30	राजसमंद	श्रीजी परिवार चेरिटेबल ट्रस्ट	अक्षय पात्र के पीछे, नाथद्वारा	9670250009
31	सवाईमाधोपुर	रूकमणी वृद्धाश्रम	ज्ञानदीप स्कूल के सामने, हनुमान नगर चौराहा, हाउसिंग बोर्ड सवाईमाधोपुर	9414031250
32	सीकर	संचालित नहीं	–	–
33	सिरोही	संचालित नहीं	–	–
34	टोंक	परमार्थ सेवा संस्थान	इन्द्रा कॉलोनी, झिलाय रोड, निवाई	–
35	उदयपुर	आनन्द वृद्धाश्रम तारा संस्थान	सेक्टर नं. 6 जिला उदयपुर	9829714140
		पूजा संस्थान वृद्धाश्रम	डाक बंगले के पीछे तहसील झाडोल, जिला उदयपुर	9414830125

नालसा वरिष्ठ नागरिक

स्कीम–2016

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा) योजना, 2016

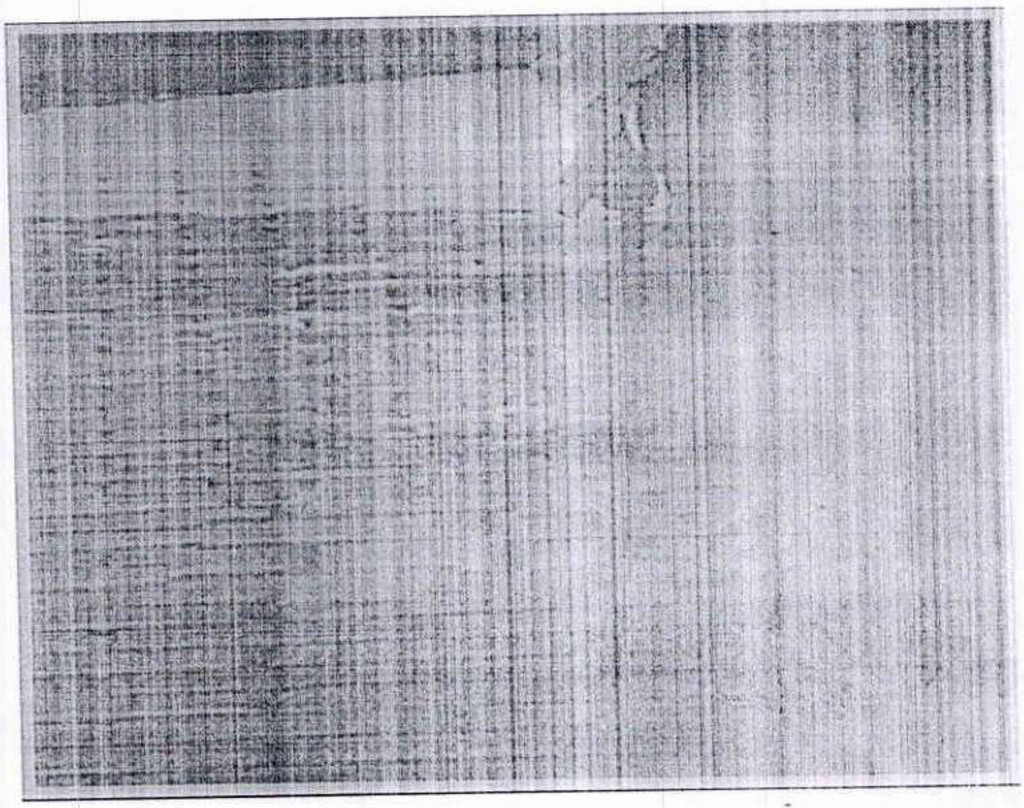

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

राष ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (वरिष ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा) योजना, 2016

1. पृष ठभूमि

1.1 वरिष ठ नागरिक अपने आप में एक सामाजिक वर्ग हैं। ये अनुभव और ज्ञान के कोष हैं, फिर भी अनेक मामलों में इनकी उपेक्षा की जाती है और समाज का युवा वर्ग इन्हें समाज पर बोझ समझकर लगभग त याग देता है। वरिष ठ नागरिक कोई सजातीय समूह नहीं हैं, इनके अंतर वरिष ठ नागरिकों के बीच आयु के अंतराल, शारीरिक एवं मानसिक सतर्कता, कार्य करने की क्षमता और ऐसी ही बातों पर आधारित हैं

1.2 वर्षों से, विज्ञान की प्रगति के साथ, जिजीविषा में उल लेखनीय वृद्धि हुई है। राष ट्रीय वरिष ठ नागरिक नीति, 2011 में किए गए उल लेख के अनुसार, "जनांकिकीय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि 2000 से 2050 तक भारत की समग्र जनसंख या में 55 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी जबकि 60 वर्ष और उससे अधिक की आयु के लोगों की संख या में 326 प्रतिशत और 80 से अधिक के आयु वर्ग - जो सबसे तेज वृद्धि वाला वर्ग है - के लोगों की संख या में 700 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी।" विश व के बुजुर्गों की जनसंख या का 8वां हिस सा भारत में रहता है। वस तुत: वरिष ठ नागरिकों की संख या 1951 में लगभग 2 करोड़ थी जो बढ़कर 2001 में 7.2 करोड़ तथा 2011 में 10.38 करोड़ हो गई। इस प्रकार जनसंख या के लगभग 8 प्रतिशत लोग 60 वर्ष से अधिक के हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की सर्वाधिक प्रतिशतता केरल में है जहां बुजुर्गों की संख या राज य की जनसंख या की 12.55 प्रतिशत है। 60 से अधिक आयु वर्ग में महिलाओं की संख या अपेक्षाकृत अधिक है जो 2011 की जनगणना के अनुसार, 5,10,71,872 पुरुषों की तुलना में 5,27,77,168 है।

1.3 वरिष ठ नागरिकों के सामने ऐसी बेशुमार सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक चुनौतियां हैं जिनका केवल उन हें ही सामना करना पड़ता है। आर्थिक समस याएं रोजगार न होने के कारण हो सकती हैं जिनके परिणामस वरूप आय एवं आर्थिक सुरक्षा की क्षति होती है।

टिप् पणी: इस योजना के प्रयोजनार्थ, 60 वर्ष से अधिक आयु के व् यक्ति तयों को 'वरिष् ठ नागरिक' कहा गया है और 'वृद्ध व् यक्ति तयों', 'बुजुर्ग' समान अर्थ में प्रयुक् त शब् द हैं।

शारीरिक समस् याओं में स् वास् थ् य एवं मानसिक समस् याएं शामिल हैं। पारिवारिक सहयोग न मिलने और सामाजिक असमायोजन से सामाजिक समस् याएं हो सकती हैं। वरिष् ठ नागरिकों के लिए सुरक्षा एक अन् य बड़ा मुद्दा है। संयुक् त परिवार व् यवस् था के टूटने और ज् यादा से ज् यादा वरिष् ठ नागरिकों को उनके हाल पर छोड़ दिए जाने से यह समस् या और अधिक गंभीर हो जाती है। परिवार के कमाने वाले सदस् य ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर जाते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और वरिष् ठ नागरिकों को अपेक्षाकृत अधिक समस् याओं का सामना करना पड़ता है।

1.4 बुजुर्गों के प्रति सतत एवं लगातार उत् पीड़न, अर्थात् वरिष् ठ नागरिकों को शारीरिक, भावनात् मक अथवा मनोवैज्ञानिक क्षति पहुंचाने का भी प्रमाण मौजूद है। रिपोर्टों के अनुसार, लगभग 50 प्रतिशत आधे बुजुर्ग निरादर और उपेक्षा के साथ-साथ उत् पीड़न का सामना करते हैं। राष् ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब् यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2014 से अक् टूबर 2014 तक वरिष् ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराध के कुल 8,973 मामले दर्ज किए गए थे। इसीलिए प्रत् येक समाज और राज् य वरिष् ठ नागरिकों को शेष समाज से अलग कतिपय विशिष् ट अधिकार प्रदान करता है।

1.5 बुजुर्गों के मुद्दे को 1948 से समय-समय पर संयुक् त राष् ट्र में उठाया जाता रहा है। दी वर्ल् ड असेंबली ऑन एजिंग 1982 में विएना में आयोजित हुई थी जिसमें बुजुर्गों हेतु अंतरराष् ट्रीय कार्य योजना को अंगीकार किया गया था जिसका उद्देश् य वरिष् ठ नागरिकों की विशेष चिंताओं एवं जरूरतों को ध् यान में रखते हुए, सभी देशों में उनकी जनसंख् या में बुजुर्गों की समस् याओं पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने की उनकी क्षमता में वृद्धि करना था। 1991 में संयुक् त राष् ट्र महासभा ने वरिष् ठ नागरिकों की स् वतंत्रता, भागीदारी, भरण-पोषण, आत् म-संतुष् टि एवं सम् मान पर केंद्रित कतिपय सिद्धांतों को अंगीकार किया था। 1 अक् टूबर को अंतरराष् ट्रीय बुजुर्ग दिवस के रूप में घोषित किया गया जो अब अंतरराष् ट्रीय वरिष् ठ नागरिक दिवस के रूप में जाना जाता है।

2. संवैधानिक प्रतिभूतियां

2.1 भारत के संविधान का अनुच् छेद 21 प्रत् येक व् यक्ति त को जीवन एवं स् वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। इसकी विवेचना में सम् मान के साथ जीने का अधिकार शामिल है जिसमें वरिष् ठ नागरिकों के सम् मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल होगा।

संविधान के अनुच छेद 41 में यह विहित है कि राज य अपनी आर्थिक सामर्थ ये और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, *बुढ़ापा*, बीमारी और नि:शक तता तथा अन य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। अनुच छेद 46 भी राज य को यह सकारात मक दायित व सौंपता है कि वह जनता के दुर्बल वर्गों के अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन याय और सभी प्रकार के शोषण से उसकी संरक्षा करेगा। अनुच छेद 41 और 46 राज य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों में शामिल हैं जो किसी न यायालय में लागू नहीं किए जा सकते , फिर भी वे राज य को सकारात मक दायित व सौंपते हैं और देश के शासन के मूलाधार हैं।

2.2 संविधान की सातवीं अनुसूची में राज य सूची की प्रविष्‍ ट 9 तथा समवर्ती सूची की प्रविष्‍ ट 20, 23 और 24 वृद्धावस था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा तथा आर्थिक एवं सामाजिक योजना-निर्माण से संबंधित हैं। समवर्ती सूची की प्रविष्‍ ट 24 में विशेष रूप से 'श्रमिकों का कल याण, जिसके अंतर्गत कार्य की दशाएं, भविष य निधि, नियोजक का दायित व, कर्मकार प्रतिकर, अशक तता और वार्धक य पेंशन तथा प्रसूति सुविधाएं हैं।' इस प्रकार वृद्धावस था के संबंध में संविधान में अनेक प्रविष्‍ टयां हैं।

3. विधायी संरचना

3.1 अधिकांश मौजूदा कानून माता-पिता के भरण-पोषण के लिए प्रावधान करते है और इसमें विशिष ट रूप से वरिष ठ नागरिकों का उल लेख नहीं किया गया है। **हिंदू विधि** में, स वयं अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ माता-पिता का भरण-पोषण करना प्राचीन काल से ही पुत्रों का दायित व माना गया है। **हिंदू दत तक एवं भरण-पोषण अधिनियम**, 1956 के तहत, यदि माता-पिता अपनी आय अथवा अन य संपत्‍ त से स वयं अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हों तो वृद्ध अथवा अशक त माता-पिता अपने पुत्र और पुत्री से भरण-पोषण प्राप त करने के हकदार हैं। **मुस्‍ लम स वीय विधि** सहज परिस्‍ थतियों में बच चों को अपने माता-पिता के भरण-पोषण का दायित व सौंपता है, भले ही वे स वयं अपने लिए कुछ कमाने में समर्थ हों। एक व यक्‍ त अपने दादा-दादी और नाना-नानी का भी, यदि वे गरीब हों तो, उतना ही भरण-पोषण करेगा जितना वह अपने गरीब पिता का भरण-पोषण करने के लिए बाध य है

3.2 **आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 से 128** में ऐसे पिता अथवा माता को, जो स्वयं अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, अपने पुत्र/पुत्री से, यदि वे अपने माता-पिता का भरण-पोषण करने में लापरवाही अथवा मनाही करते हैं तो, भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार दिया गया है। यह एक धर्मनिरपेक्ष कानून है और सभी धर्मों पर लागू होता है। यदि जिस व्यक्ति के विरुद्ध आदेश पारित किया गया है वह बिना किसी पर्याप्त कारण के भरण-पोषण की राशि का भुगतान करने में असफल रहता है, तो दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है और न्यायालय आदेश के उल्लंघन के कारण दंड देते हुए वारंट भी जारी कर सकता है और व्यक्ति को कैद भी हो सकती है। इसी प्रकार, यदि माता को घरेलू हिंसा का शिकार बनाया जाता है तो **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005** के तहत वह अपने पुत्र के विरुद् याचिका दायर कर सकती है और इस अधिनियम के तहत विभिन्न राहतें प्राप्त कर सकती है।

3.3 वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता पर विचार करते हुए और संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, **माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007** अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के तहत, (क) 'माता-पिता', अर्थात् पिता अथवा माता चाहे वे जैविक, दत्तक अथवा सौतेले पिता अथवा माता हों; और (ख) 'वरिष्ठ नागरिक', अर्थात् वह व्यक्ति जिसने 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर ली हो, के द्वारा भरण-पोषण हेतु आवेदन किया जा सकता है। (क) माता-पिता अथवा दादा-दादी द्वारा अपने एक अथवा अधिक बच्चों, अर्थात् पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री, जो वयस्क हों, के विरुद्ध; और (ख) नि:संतान वरिष्ठ नागरिक द्वारा अपने संबंधी, अर्थात् कानूनी उत्तराधिकारी, जो वयस्क हो और जिसका उसकी सम्पत्ति पर कब्जा है अथवा जिसको उसकी मृत्यु के बाद कब्जा प्राप्त होगा, के विरुद् भरण-पोषण हेतु आवेदन कर सकते है। यह अधिनियम भरण-पोषण के आदेश पर न्याय-निर्णय और निर्णय करने के प्रयोजनार्थ प्रत्येक उप-खंड के लिए एक अथवा अधिक न्यायाधिकरणों की स्थापना का और न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध सुनवाई करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन का उपबंध करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिनियम के तहत, माता-पिता/वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति के हस्तांतरी के विरुद्ध भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार प्रवर्तनीय है, यदि हस्तांतरी को अधिकार का नोटिस दिया गया है, अथवा यदि यह हस्तांतरण अहेतुक है और अधिकार का नोटिस नहीं दिया गया है, तो यह हस्तांतरी के विरुद्ध प्रतिफल हेतु प्रवर्तनीय नहीं है। जहां वरिष्ठ

नागरिक ने संपत्ति को इस शर्त पर कि हस्तांतरी हस्तांतरणकर्ता की मूलभूत सुविधाओं एवं मूलभूत भौतिक जरूरतों को पूरा करेगा, उपहार में अथवा अन्यथा हस्तांतरित किया है, परंतु वह हस्तांतरी उन सुविधाओं और शारीरिक जरूरतों को पूरा करने से मना कर देता है अथवा उसमें असफल रहता है, वहां न्यायाधिकरण, किसी वरिष्ठ नागरिक द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण को हस्तांतरणकर्ता की इच्छा पर अमान्य घोषित कर सकता है।

3.4 इस अधिनियम की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वरिष्ठ नागरिक जिस व्यक्ति की देखभाल और संरक्षण में है, उसके द्वारा वरिष्ठ नागरिक को परित्यक्त कर देना एक दंडनीय अपराध है जिसमें अधिकतम 3 माह की कैद अथवा 5000/-रु. जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। यह वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति के संरक्षण के लिए तथा उन्हें अज्ञात स्थानों पर छोड़ दिए जाने की घटनाओं की रोकथाम के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। इस अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान भी हैं:

-असहाय वरिष्ठ नागरिकों, अर्थात् ऐसे वरिष्ठ नागरिकों जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं हैं, के लिए वृद्धाश्रमों की स्थापना करना ।

-सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी अस्पताल अथवा पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से सरकार द्वारा वित्तपोषित अस्पताल सभी वरिष्ठ नागरिकों को बिस्तर प्रदान करें; वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से पंक्तियां लगवाएं और वरिष्ठ नागरिकों को क्रोनिक, आवधिक और अपक्षयी रोगों के उपचार की सुविधा प्रदान करें।

4. वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकारी योजनाएं

4.1 केंद्र सरकार के तहत अलग-अलग मंत्रालयों ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग-अलग योजनाएं बनाई हैं। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति वरिष्ठ नागरिकों, विशेषतः बुजुर्ग महिलाओं, को मुख्यधारा में शामिल करने, वृद्धावस्था में सम्मान प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए 'एजिंग इन प्लेस' अथवा स्वयं के घर, मकान, आय सुरक्षा अथवा गृह-आधारित देखभाल सेवाओं, वृद्धावस्था पेंशन के साथ वृद्धावस्था को प्राप्त करने की संकल्पना को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजनाओं और अन्य कार्यक्रमों

तथा सेवाओं पर ध्‍यान केंद्रित करती है। वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए योजनाओं में निम्‍नलिखित शामिल हैं:

i) वृद्ध व्‍यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम जिसके तहत वृद्धाश्रम, दिवस देखभाल केंद्र, सचल चिकित्‍सा देखभाल इकाइयों की स्‍थापना करने और उनका अनुरक्षण करने तथा वृद्ध व्‍यक्तियों को गैर-संस्‍थागत सेवाएं प्रदान करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को परियोजना लागत की 90 प्रतिशत तक वित्‍तीय सहायता प्रदान की जाती है।

ii) आयकर में छूट, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80डी के तहत चिकित्‍सा बीमा प्रीमियम के संबंध में 30,000 रु. तक की रियायत है, वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए विशिष्‍ट बीमारी के उपचार हेतु धारा 80डी के तहत 60,000 रु. की रियायत दी जाती है, आयकर रिटर्न भरते समय वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर और तत्‍स्‍थान कर-निर्धारण सुविधा प्रदान की जाती है।

iii) 'वरिष्‍ठ नागरिक बचत योजना' जिसके तहत 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिक बचत बैंक खाता संबंधी कार्य करने वाले डाक घरों में 1000/-रु. अथवा उसके गुणकों में पैसे जमा करा सकते हैं जिस पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्‍याज दिया जाता है और जमा की परिपक्‍वता अवधि पांच वर्ष है जो तीन साल तक और बढ़ाई जा सकती है। वरिष्‍ठ नागरिकों, अर्थात् 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्‍यक्तियों के लिए बचत योजनाओं में अपेक्षाकृत अधिक ब्‍याज दरें उपलब्‍ध हैं।

iv) इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय वृद्धावस्‍था पेंशन योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्‍यक्तियों को 200/-रु. प्रति माह की दर से और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्‍यक्तियों को 500/-रु. प्रति माह की दर से पेंशन के रूप में केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है और इतनी ही राशि का अंशदान राज्‍यों द्वारा किए जाने की अपेक्षा की जाती है।

v) घरेलू उड़ानों में इकोनॉमी क्‍लास में मूल किराये में छूट और उड़ानों में सवार होने में प्राथमिकता दी जाती है ।

vi) वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए सभी श्रेणियों और रेल गाड़ियों में रियायत, निचली बर्थ के लिए प्राथमिकता, टिकट खरीदने/बुक करने के लिए वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए

अलग काउंटर, सभी जंक शनों, जिला मुख यालयों और अन य महत वपूर्ण स टेशनों पर वरिष ठ नागरिकों के उपयोग हेतु ह्वील चेयर उपलब ध हैं।

vii) राज य पथ परिवहन उपक्रमों की बसों में वरिष ठ नागरिकों के लिए अगली पंक्ति त की दो सीटों का आरक्षण और किराये में भी रियायत दी जाती है ।

viii) वृद्ध व यक्ति तयों के लिए अस पतालों में पंजीकरण एवं नैदानिक परीक्षण हेतु अलग पंक्ति तयां और किडनी की समस या, हृदय की समस या, मधुमेह एवं नेत्र संबंधी समस या जैसे रोगों के उपचार में वरिष ठ नागरिकों को रियायतें दी जाती है ।

ix) अंत योदय योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों, जिनमें वृद्ध व यक्ति त हैं, को प्रति परिवार प्रति माह 35 कि.ग्रा. अनाज रियायती दरों पर प्रदान किया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे के 60 वर्ष से अधिक के व यक्ति तयों की प्राथमिकता से पहचान की गई।

x) राज यों/संघ राज य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वि वत की जा रही अन नपूर्णा योजना के तहत, प्रति माह 10 कि.ग्रा. अनाज उन वरिष ठ नागरिकों को नि:शुल क प्रदान किया जाता है जो वृद्धावस था पेंशन योजना के तहत शामिल नहीं हैं।

xi) 60 वर्ष से अधिक आयु के राशन कार्ड धारकों को उचित मूल य की दुकानों में राशन जारी करने में प्राथमिकता दी जाती है।

xii) दूरसंचार मंत्रालय द्वारा टेलीफोन कनेक शन देने में प्राथमिकता और वरिष ठ नागरिकों के टेलीफोन फाल टों/शिकायतों को एक वीआईपी फ्लैग के साथ वरिष ठ नागरिक श्रेणी, जो एक प्राथमिकता प्राप त श्रेणी है, के तहत दर्ज करते हुए प्राथमिकता दी जाती है।

4.2 **न यायालयों में भी वरिष ठ नागरिकों के मामलों को त वरित निपटान की दृष्टि ट से प्राथमिकता दी जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम,** 2005 के तहत वरिष ठ नागरिकों द्वारा दायर द्वितीय अपीलों पर उच च प्राथमिकता आधार पर कार्रवाई की जाती है।

4.3 अनेक राज यों ने वरिष ठ नागरिकों के हितार्थ, विशेषत: वरिष ठ नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपनी स वयं की योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए हैं।

4.4 वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न कानूनी प्रावधानों एवं योजनाओं की मौजूदगी के बावजूद, उनके लाभ बहुत कम वरिष्ठ नागरिकों तक पहुँचे हैं। प्राय: वरिष्ठ नागरिक अपनी पात्रताओं से अनभिज्ञ हैं और/अथवा उनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि वे उक्त लाभों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। वे न केवल अपनी संपत्तियों से वंचित रहते हैं अपितु अपने सम्मान से वंचित करने वाले सभी प्रकार के उत्पीड़न का शिकार भी होते हैं। विधवा वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए अथवा सेवा-निवृत्त वरिष्ठ नागरिकों के लिए, प्राय: अपनी पेंशन और अन्य लाभ प्राप्त करना अत्यंत कठिन कार्य बन जाता है। कानूनों एवं योजनाओं में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पात्रताएं निर्धारित की गई हैं और यदि वरिष्ठ नागरिकों को कानूनों एवं योजनाओं के तहत उनकी हकदारियों को प्राप्त करने में कोई कठिनाई होती है तो, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यह महसूस करता है कि विधिक सेवा संस्थाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी और वे वरिष्ठ नागरिकों को योजनाओं एवं विधिक प्रावधानों के लाभ प्राप्त कराने में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं।

4.5 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की प्रस्तावना में इस बात पर बल दिया गया है कि विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के कमजोर वर्गों से सरोकार रखते हैं और उनके लिए वे ऐसे अवसर सुनिश्चित करें कि किसी भी आर्थिक अथवा अन्य नि:शक्तता के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 4(ख) के तहत, "केंद्रीय प्राधिकरण" अर्थात् राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को इस अधिनियम के "प्रावधानों के तहत विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ सर्वाधिक प्रभावशाली एवं मितव्ययितापूर्ण योजनाएं बनाने" का कार्य सौंपा गया है। इसके अलावा, धारा 4(1) के तहत "केंद्रीय प्राधिकरण" को जनता के बीच विधिक साक्षरता एवं विधिक जागरूकता फैलाने हेतु उपयुक्त उपाय करने, और विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों को समाज कल्याण कानूनों एवं अन्य अधिनियमनों के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यक्रमों और उपायों द्वारा प्रतिभूत अधिकारों, लाभों और विशेषाधिकारों के बारे में शिक्षित करने, के कार्य से भी जोड़ा गया है। इसी प्रकार, धारा 7(ग) के अंतर्गत, राज्य प्राधिकरण अर्थात् राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्य है रोकथाम तथा कार्यनीतिगत विधिक सहायता कार्यक्रम संचालित करना। इस प्रकार यह अधिनियम स्वत: विधिक सेवा प्राधिकरणों को कानूनों एवं विभिन्न प्रशासनिक उपायों एवं कार्यक्रमों के बारे में विधिक जागरूकता फैलाने और रोकथाम एवं कार्यनीतिगत कार्यक्रम संचालित करने का कर्तव्य सौंपता है।

5. योजना का नाम

5.1 यह योजना **"राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा) योजना, 2016"** नाम से अभिहित होगी। इस योजना में 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिक माना जाएगा।

5.2 पैरा लीगल वोलंटियर्स, विधिक सेवा क्लिनिक, फ्रंट ऑफिस, पैनल वकील और रिटेनर वकील शब्दों का आशय वही होगा जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नि:शुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सेवा क्लिनिक) विनियम, 2011 और पैरा लीगल वॉलंटियर्स हेतु नालसा योजना (संशोधित) के तहत यथापरिभाषित है।

6. योजना के उद्देश्य

योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1) उन मूलभूत अधिकारों एवं लाभों को रेखांकित करना जो वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान किए जाने चाहिए;
2) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987[2] की धारा 12 के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए मौजूदा विभिन्न विधिक प्रावधानों के लाभ प्राप्त करने में राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं तालुका स्तरों पर कानूनी सहायता एवं प्रतिनिधित्व प्रदान करना;
3) वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों तक पहुँच सुनिश्चित करना;
4) यह सुनिश्चित करना कि **माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007** के तहत न्यायाधिकरण एवं अपीलीय न्यायाधिकरण एवं संस्थाएं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम स्थापित किये गए हैं;
5) जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, तालुका विधिक सेवा समितियों, पैनल वकीलों, पैरा लीगल वोलंटियरों, छात्रों और विधिक सेवा क्लिनिकों के माध्यम से विभिन्न

कानूनों एवं सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के तहत वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और पात्रताओं के बारे में जागरूकता पैदा करना और फैलाना;

6) प्रशिक्षण, प्रबोधन और संवेदीकरण कार्यक्रमों का आयोजन करके सभी स्तरों के पैनल वकीलों, पैरा लीगल वॉलंटियरों, विधिक सेवा क्लिनिकों के स्वयंसेवकों, सरकारी अधिकारियों, जिन्हें विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है, सेवा प्रदाताओं, पुलिस कार्मिकों, गैर-सरकारी संगठनों की क्षमताओं में वृद्धि करना; और

7) अंतरालों, आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए और उपयुक्त प्राधिकारियों को सुझाव देने हेतु विभिन्न योजनाओं, कानूनों आदि का अध्ययन करने के लिए शोध एवं प्रलेखन संचालित करना।

---

*टिप्पणी: विधिक सहायता प्रदान करने के प्रयोजनार्थ, पात्रता मानदंड विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 में निर्धारित किए गए हैं। सभी महिलाएं, जिनमें वे भी शामिल हैं जो वरिष्ठ नागरिक हैं, इस अधिनियम की धारा 12 के तहत विधिक सहायता प्राप्त करने की हकदार होंगी और वरिष्ठ नागरिकों सहित वे सभी जो धारा 12 में प्रगणित श्रेणियों में से किसी एक में शामिल हैं, विधिक सहायता प्राप्त करने के हकदार होंगे। तथापि, सरकारी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने में सहायता, विधिक सेवाएं और अन्य सेवाओं के बारे में जानकारी सभी के वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान की जा सकती हैं।

इस योजना का चरम उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वरिष्ठ नागरिक समाज में सम्मान के साथ जीवन जिएं और उनके लिए देय लाभ और सुविधाएं उन्हें प्राप्त हों।

7. कार्य योजना

7.1 न्यायाधिकरणों, अपीलीय न्यायाधिकरणों आदि की स्थापना

वरिष्ठ नागरिकों को अपने अधिकारों को लागू करने के लिए अग्रगामी के रूप में, यह आवश्यक है कि उनके लिए राहत प्रदान करने हेतु कानून के तहत अवेक्षित संस्थाएं स्थापित की जाएं।

1) **माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम**, 2007 की धारा 7 भरण-पोषण के आदेश पर न्याय-निर्णय करने और निर्णय करने के प्रयोजनार्थ प्रत्येक उप-खंड के लिए एक अथवा अधिक न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करती है। इस अधिनियम की धारा 15 में न्यायाधिकरणों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने हेतु प्रत्येक जिले में एक अपीलीय न्यायाधिकरण

के गठन का भी प्रावधान है। राज य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस अधिनियम के तहत अधिदेश के अनुसार न यायाधिकरणों एवं अपीलीय न यायाधिकरणों के गठन के मामले को राज य सरकार के साथ तत काल आधार पर उठाएंगे।

2) **माता-पिता और वरिष ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल याण अधिनियम**, 2007 की धारा 19 असहाय वरिष ठ नागरिकों, अर्थात् ऐसे वरिष ठ नागरिकों, जिनके पास राज य सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित मापदंडो के अनुसार स वयं के भरण-पोषण के पर्याप त साधन नहीं हैं, के लिए वृद्धाश्रमों की स थापना के लिए प्रावधान करती है। राज य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण असहाय वरिष ठ नागरिकों के लिए पर्याप त संख या में वृद्धाश्रमों की स थापना के मामले को राज य सरकार के साथ उठाएंगे। राज य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कॉरपोरेट सामाजिक उत तरदायित व के तहत वरिष ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों की स थापना की संभावना भी तलाश कर सकते हैं।

3) राज य विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्‍ चित करने के लिए कि वरिष ठ नागरिकों के पास पर्याप त सुविधाएं हैं और उनके साथ सम मानजनक व यवहार किया जाता है। वृद्धाश्रमों के नियमित आधार पर दौरे करेंगे ।

7.2 विधिक सेवा क्‍ लिनिक

1) राज य विधिक सेवा प्राधिकरण **माता-पिता और वरिष ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल याण अधिनियम**, 2007 के तहत स थापित प्रत येक न यायाधिकरण एवं अपीलीय न यायाधिकरण में और वृद्धाश्रमों में विधिक सेवा क्‍ लिनिक स थापित करेंगे।

2) जबकि वर्तमान में उक त न यायाधिकरणों के समक्ष वकीलों के पेश होने पर रोक है, यह सुनिश्‍ चित किया जाएगा कि विधिक सेवा क्‍ लिनिकों में वरिष ठ नागरिकों को आवेदन करने एवं अन य प्रक्रियागत अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए प्रशिक्षित पैरा-लीगल वॉलंटियर उपलब ध हों।

3) विधिक सेवा क्‍ लिनिक खोले जाने की सूचना सभी सरकारी निकायों और विभागों सहित पुलिस, गैर-सरकारी संगठनों को दी जाएगी।

4) इस प्रकार स थापित विधिक सेवा क्‍ लिनिक अपने कार्यकरण, अवसंरचनात मक सुविधाओं, रिकॉर्डों और रजिस टरों के रखरखाव, पैरा लीगल वॉलंटियरों की प्रतिनियुक्‍ त करने और ऐसे क्‍ लिनिकों पर नियंत्रण के मामले में, राष ट्रीय विधिक

सेवा प्राधिकरण (विधिक सेवा क्लिनिक) विनियम, 2011 के द्वारा अभिशासित होंगे

5) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्थापित विधिक सेवा क्लिनिकों के छात्रों को वृद्धाश्रमों का दौरा करने और समुदाय के वरिष्ठ नागरिकों को विधिक सेवा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

6) विधिक सेवा क्लिनिक विधवाओं और वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन लाभ एवं अन्य हकदारियों को प्राप्त करने में भी सहायता करेंगे।

7.3 विधिक प्रतिनिधित्व

1) उन सभी वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता आधार पर कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं।

2) यह आवश्यक है कि विधिक सेवा संस्थाएं वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक अवसंरचना के मामले में सुगम हों, अन्यथा न्याय की प्राप्ति उनके लिए निरर्थक हो जाएगी। तदनुसार, विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा सुगमता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए जैसे कि स्वागत कार्यालय भूतल पर हो।

3) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि वरिष्ठ नागरिकों को प्रक्रियागत मामलों में किसी प्रकार की तकलीफ न हो।

4) प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समिति इस योजना के प्रयोजनार्थ कम-से-कम तीन वकीलों को विधिक सेवा अधिकारियों के रूप में पदनामित करेंगे।

5) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस योजना के कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त संख्या में पैरा लीगल वॉलंटियर भी प्रतिनियुक्त करेंगे और इस प्रयोजनार्थ वे ऐसे पैरा लीगल वॉलंटियर लेंगे जो वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने में प्रशिक्षित हों। वरिष्ठ नागरिकों, पुरुष और महिला दोनों, में से प्रशिक्षित पैरा लीगल वॉलंटियरों की पहचान करने के प्रयास भी किए जाएंगे।

6) पैरा लीगल वॉलंटियर विधिक सेवा संस्थाओं तक पहुँचने में असमर्थ समुदाय के वरिष्ठ नागरिकों एवं विधिक सेवा संस्थाओं के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करेंगे। जहां वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपनी दशाओं के कारण विधिक सेवा संस्थाओं तक

पहुँचना संभव न हो, वहां विधिक सेवा संस्थाएं पैनल वकीलों एवं पैरा लीगल वॉलंटियरों के माध्यम से उन तक पहुँचेंगी।

7) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पैनल वकीलों को वरिष्ठ नागरिकों के मामलों को संवेदनशील तरीके से संभालने में सक्षम बनाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि वरिष्ठ नागरिकों को प्रदत्त विधिक सेवाएं उच्चतम कोटि की हैं ताकि उन्हें सार्थक एवं प्रभावी विधिक सेवाएं प्रदान की जा सकें।

7.4 वरिष्ठ नागरिकों को प्रभावित कर रहे मुद्दों की पहचान

1) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्षेत्र विशेष में वरिष्ठ नागरिकों को प्रभावित करने वाले मुद्दों की पहचान करने और उन पर तदनुसार कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। जबकि कुछ मुद्दे सभी भौगोलिक क्षेत्रों में एक जैसे हो सकते हैं, वहीं कुछ मुद्दे ऐसे भी हो सकते हैं जो कुछ क्षेत्रों में ही विशिष्ट होते हैं, जैसे कि कुछ क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिक अपने स्वयं के हाल पर होते हैं क्योंकि उनके परिवार शहरों या अन्य देशों में प्रवास कर गए होते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में कतिपय स्वास्थ्य समस्याएं अपेक्षाकृत अधिक गंभीर होती हैं।

2) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्षेत्रीय आधार पर उठने वाले मुद्दों का समाधान ढूँढेंगे और समाधानों को कार्यान्वित करने हेतु अपने संसाधनों का उपयोग करेंगे, जिनमें संबद्ध सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय के माध्यम से समाधान करना शामिल है।

3) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सामुदायिक सहायता को प्रोत्साहित करने के लिए और वरिष्ठ नागरिकों की ओर से निर्भरता के भाव को कम करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के स्वयं सहायता समूहों के गठन में भी सहायता करेंगे।

7.5 डाटाबेस

1) सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी मौजूदा सभी केंद्रीय अथवा राज्य योजनाओं, नीतियों, विनियमों, नीति-निर्देशों का एक डाटाबेस बनाएंगे और उसे वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के बारे में जानकारी का प्रसार करने तथा

जागरूकता पैदा करने में प्रयोग में लाए जाने के लिए पैम्‍ फलेटों अथवा बुकलेटों के रूप में भी प्रकाशित किया जा सकता है।

2) राज्‍ य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निम्‍ नलिखित बातों को सरल शब्‍ दों में स्‍ पष्‍ ट करते हुए क्षेत्रीय भाषाओं में सूचना पुस्‍ तकाएं प्रकाशित करेंगे:

1) कानूनी प्रावधान, जैसे भरण-पोषण, वसीयत, सामाजिक कल्‍ याण योजनाओं से संबंधित;

2) उपायों तक पहुँचने के बारे में ब्‍ यौरा; और

3) राज्‍ य भर में उपलब्‍ ध हैल्‍ पलाइन नम्‍ बरों का संपर्क ब्‍ यौरा।

ऐसी सूचना पुस्‍ तकाओं को वरिष्‍ ठ नागरिकों को वितरित किया जा सकता है और जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान प्रयोग किया जा सकता है।

3) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अस्‍ पतालों, चिकित्‍ सा केंद्रों और अन्‍ य सुविधाओं का डाटाबेस बनाएंगे जो वरिष्‍ ठ नागरिकों को उनके क्षेत्र में उपलब्‍ ध हों।

4) जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा अनुरक्षित जानकारी को तालुका विधिक सेवा समितियों, ग्राम पंचायतों, विधिक सेवा क्लिनिकों और पैरा लीगल वॉलंटियरों को परिचालित किया जाएगा।

5) राज्‍ य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एकत्र आंकड़ों को अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करेंगे।

6) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपने क्षेत्र के वरिष्‍ ठ नागरिकों का एक डाटाबेस तैयार करेंगे ताकि जब भी उन्‍ हें सहायता की जरूरत हो, पैरा लीगल वॉलंटियरों की प्रतिनियुक्‍ ति की जा सके। ऐसे डाटाबेस को कानून को लागू करने वाली एजेंसियों के साथ भी साझा किया जा सकता है ताकि वरिष्‍ ठ नागरिकों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान किया जा सके। इससे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्‍ वास्‍ थ्‍ य एवं पुलिस विभाग जैसे संबद्ध विभागों के साथ समन्‍ वय करके संकटग्रस्‍ त व्‍ यक्‍ तियों को तत्‍ काल सहायता प्रदान करने में भी सक्षम होंगे।

7.6 विभिन्‍ न योजनाओं का कार्यान्‍ वयन

1) राज य विधिक सेवा प्राधिकरण नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी को वरिष ठ नागरिकों एवं सरकार के कार्यकर्ताओं के बीच प्रसारित करने के लिए सभी कदम उठाएंगे।

2) राज य विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिशि चत करेंगे कि ऐसी जानकारी को मुख यत: वृद्धाश्रमों, अस पतालों एवं अन य स थानों में प्रदर्शित किया जाए जहां वरिष ठ नागरिक बार-बार आते-जाते हैं।

3) अनेक राज यों में वरिष ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष योजनाएं मौजूद हैं, जैसे वरिष ठ नागरिकों का संबंधित पुलिस थानों में पंजीकरण। राज य विधिक सेवा प्राधिकरण वरिष ठ नागरिकों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करने और गश त में वृद्धि करके, प्रत येक सप ताह अथवा प्रत येक पखवाड़ा वरिष ठ नागरिकों के साथ नियमित रूप से संपर्क बनाए रख कर पुलिस एवं वरिष ठ नागरिकों के बीच इंटरफेस को बढ़ाने के लिए कानून को लागू करने वाले प्राधिकरणों के साथ संपर्क स थापित कर सकते हैं। राज य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वरिष ठ नागरिकों का पुलिस थानों में पंजीकरण करवाने में, नौकर एवं किरायेदार का सत यापन करवाने में और वरिष ठ नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े ऐसे अन य मामलों में सहायता करने हेतु पैरा लीगल वॉलंटियर प्रतिनियुक त कर सकते हैं।

4) प्रदान की जाने वाली विधिक सेवाओं में लाभार्थियों को उन अलग-अलग सरकारी योजनाओं और उनके तहत लाभों के बारे में जानकारी देना जिनके तहत वे पात्र हैं; लाभार्थियों को योजनाओं के तहत लाभ प्राप त करने हेतु अपेक्षित दस तावेज प्राप त करने में सहायता करना; लाभार्थियों को उस पदनामित प्राधिकारी अथवा अधिकारी का नाम और पता बताना जिनसे उन योजनाओं का लाभ प्राप त करने हेतु संपर्क किया जा सके; लाभार्थियों को किन हीं योजनाओं के तहत संबंधित पदनामित प्राधिकारी अथवा अधिकारी के कार्यालय में पैरा लीगल वॉलंटियर को भेजना शामिल है ।

5) राज य विधिक सेवा प्राधिकरण सभी सरकारी निकायों अथवा कार्यकर्ताओं, गैर-सरकारी संगठनों और वरिष ठ नागरिकों के कल याण से सरोकार रखने वाले अन य संबंधित संगठनों के साथ प्रभावी समन वय एवं इंटरफेस विकसित करेंगे ताकि उनके लिए विभिन न योजनाओं, विशेष रूप से उनके पुनर्वास संबंधी योजनाओं, के लाभ सुनिशि चत हो सकें।

7.7 जागरूकता

1) राज य विधिक सेवा प्राधिकरण वरिष ठ नागरिकों के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार करेगा और ऐसे संस कार पैदा करने का प्रयास करेगा जो वरिष ठ नागरिकों के अधिकारों एवं जरूरतों के प्रति संवेदनशील हों।

2) विधिक सेवा संस थाएं वरिष ठ नागरिकों की जरूरतों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगी और यह भी बताएंगी कि वरिष ठ नागरिकों की देखभाल करना तथा उन हें उनकी वृद्धावस था में परित यक त अवस था में नहीं छोड़ना बच चों का नैतिक कर्तव य है।

3) विधिक सेवा संस थाएं वरिष ठ नागरिकों के साथ सम मानजनक व यवहार करने की जरूरत पर जागरूकता पैदा करेगी ।

4) राज य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विभिन न कानूनों एवं सरकारी योजनाओं के तहत वरिष ठ नागरिकों की हकदारियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालित करेंगे।

5) राज य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समितियां वरिष ठ नागरिकों को उनकी हकदारियों को प्राप त करना सुसाध य बनाने हेतु उपलब ध विधिक सेवाओं की उपलब धता के संबंध में जागरूकता भी पैदा करेंगे।

6) वृद्धाश्रमों में तथा वरिष ठ नागरिक जहां बार-बार आते-जाते हैं, उन स थानों पर विशेष जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं और पैरा लीगल वॉलंटियरों एवं छात्रों को ऐसे कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत साहित किया जा सकता है।

7) जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के साथ-साथ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समितियां वरिष ठ नागरिकों के लिए सामान य स वास थ य शिविरों, नेत्र जांच शिविरों आदि जैसे विशेष स वास थ य अथवा जांच शिविरों के आयोजन हेतु संबद्ध स वास थ य विभाग के साथ, अथवा वरिष ठ नागरिकों के लिए विशेष पंजीकरण अभियान चलाने के लिए पुलिस के साथ समन वय भी कर सकता है।

8) जागरूकता फैलाने के सभी संभव तरीके अपनाए जाने चाहिए, जैसे दूरदर्शन, आकाशवाणी, निजी टीवी चैनल, होर्डिंग, सांस कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन तथा धार्मिक मेलों, त यौहारों पर स टाल लगाना।

9) चूँकि वरिष्ठ नागरिकों की अपने क्षेत्र में बेहतर साख और मान्यता हो सकती है, अतः राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण वरिष्ठ नागरिकों के साथ मिलकर कार्य करेंगे और विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में सक्रिय रूप से उनकी सेवाएं प्राप्त करेंगे।

7.8 प्रशिक्षण एवं प्रबोधन कार्यक्रम

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पैनल वकीलों और पैरा लीगल वॉलंटियरों के लिए प्रशिक्षण और प्रबोधन कार्यक्रम संचालित करेंगे ताकि उन्हें वरिष्ठ नागरिकों के मामलों पर कार्रवाई करने के तरीकों की जानकारी दी जा सके और उनकी क्षमता, ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि की जा सके। सरकारी कार्यकर्ताओं, पुलिस कार्मिकों और गैर-सरकारी संगठनों जैसे अन्य पदाधिकारियों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने चाहिए।

7.9 अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाना

सभी विधिक सेवा संस्थाएं प्रति वर्ष 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाएंगी और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों एवं हकदारियों के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु इस दिन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगी।

*****

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
12/11, जाम नगर हाउस, शाहजहां रोड,
नई दिल्ली-110011
दूरभाष: 23382778, 23386176, 23382121 (फैक्स)
ई-मेल: nalsa-dla@nic.in, वेबसाइट: nalsa.gov.in
कवर डिजाइन: कुमडिलोंग केसन, विधि शोधकर्ता, नालसा

(18)

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(ग्रुप–2)

क्रमांक : पं.8(1) विधि–2/विरस (132)/2017/534 जयपुर दिनांक : 16-06-2017

:: परिपत्र ::

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा एक स्कीम नालसा (लीगल सर्विसेज टू सीनियर सिटीजन्स) स्कीम, 2016 जारी की गयी है। माननीय न्यायाधिपति श्री के.एस.झवेरी, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आप से अनुरोध है कि :–

1. राजस्थान राज्य के प्रत्येक जिले में जनसंख्या/आवश्यकता को मद्दे नजर रखते हुए असहाय विरिष्ठ नागरिकों के लिए **वृद्धाश्रम की स्थापना** की जावे।
2. प्रत्येक न्यायाधीकरण एवं अपीलीय न्यायाधीकरणों में एक **विधिक सेवा क्लिनिक** की स्थापना करनी है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा पेश किए जाने वाले आवेदन/प्रक्रियागत अपेक्षा/पेंशन लाभ एवं अन्य हक अधिकार प्राप्त करने में विधवाओं की सहायता प्रतिनियुक्त पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स के द्वारा की जा सके।
3. राज्य में स्थापित विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकगण एवं स्थापित विधि सेवा क्लिनिक के माध्यम से **छात्रों को इस प्रकार प्रोत्साहित** किया जाना है कि वे वरिष्ठ नागरिकों को विधिक सेवा प्रदान करने में सहायता करें और साथ ही वृद्धाश्रमों का दौरा करें।
4. राजस्थान राज्य में **वरिष्ठ नागरिकों को प्राभावित करने वाले मृद्दों की पहचान** कर समाधान सरकारी एवं गैर सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए करना है।
5. सामूहिक सहायता को प्रोत्साहित करने और वरिष्ठ नागरिकों की निर्भरताभाव को कम करने के लिए **वरिष्ठ नागरिकों के स्वयं सहायता समूह के गठन में सहायता** की जानी है।

6. वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में जो योजनाएँ, नीतियाँ, विनियम और नीति–निर्देश स्थानीय स्तर पर प्रशासन के द्वारा बनाए गए है, उनका **एक डाटाबेस** तैयार कर उसको पैम्पलेट व बुकलेट के रूप में प्रकाशित करवाना है।
7. क्षेत्रिय भाषाओं में सरल शब्दों के साथ एक **पुस्तक का भी प्रकाशन** करना है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण, वसीयत, सामाजिक कल्याणकारी योजना, राज्य की हेल्पलाइन तथा उपाय तक पहँचने के बारे में ब्यौरा आदि का उल्लेख हो।
8. एक ऐसा **डाटाबेस तैयार करना है, जिसमें अस्पतालों, चिकित्सा केन्द्रों और अन्य सुविधाओं का उल्लेख हो** और उसकी जानकारी तालसा, ग्राम पंचायत विधिक सेवा क्लिनिक और पैरा लीगल वॉलेन्टीयर्स को परिचालित की जानी है और साथ ही एकत्रित आँकडों की जानकारी इस कार्यालय को भी प्रेषित की जानी है। ताकि उसे **विभागीय वेबसाईट पर अपलोड** किया जा सके।
9. वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित सभी जानकारियों को **वृद्धाश्रम, अस्पताल और अन्य उन स्थानों पर भी प्रदर्शित की जानी है,** जहाँ वरिष्ठ नागरिक बार–बार आते जाते हैं।
10. वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा संबंधी चिन्ताओं का सामाधान करने और **पुलिस की गश्त में वृद्धि करके प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक पखवाडे में पुलिस और वरिष्ठ नागरिकों के बीच इन्टरफेस को बढाने के लिए कार्य** किया जाना है।
11. वरिष्ठ नागरिकों के **पुलिस थानों में पंजीकरण** तथा उनके नौकरों और **किरायेदारों के सत्यापन करवाए** जाने **में संवेदनशीलता** बरती जानी है तथा इस कार्य में सहयोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा प्रतिनियुक्त पैरा लीगल वॉलन्टीयर्स के द्वारा किया जाना है।
12. सरकारी योजनाओं की प्राप्ति में आने वाली समस्याओं के निवारण हेतु योजना से संबंधित पदनामित अधिकारी का नाम व पते की जानकारी इस प्राधिकरण को भिजवाया जाना है।
13. सभी सरकारी निकाय, कार्यकर्ता, गैर सरकारी संगठन और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित सभी अन्य संगठनों के साथ प्रभावी समन्वय और इन्टरफेस स्थापित करना है।

14. **प्रतिवर्ष 01 अक्टुबर, को अन्तरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस** के रूप में मनाया जाना है और उस दिन विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने हैं।

15. वरिष्ठ नागरिकों के **सामान्य स्वास्थ्य शिविर एवं नेत्रजाँच शिविर** आदि शिविरों का आयोजन स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए करना है।

साथ ही वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित केन्द्रीय/राज्य स्तरीय विभागों की सभी योजनाओं, नीतियों, विनियमों एवंय नीति निर्देशों की प्रतियाँ तथा उनके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के पदनाम एंव टेलीफोन/मोबाईल नम्बर इस प्राधिकरण को शीघ्र उपलब्ध करावाएं, ताकि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा जारी योजनाओं के उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

अतः आपसे अपेक्षा है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी की गयी **'लीगल सर्विसेज टू सीनियर सिटीजन्स स्कीम, 2016'** का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करावें तथा विधिक सेवा संस्थाओं से तालमेल स्थापित करने हेतु आपके अधिनस्थ विभागाध्यक्षों/जिला कलेक्टर्स को तत्सम्बन्धित निर्देश जारी करावें। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित आपके विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय/राज्य स्तरीय सभी योजनाओं, नीतियों, विनियमों एवं नीति निर्देशों की प्रतियाँ तथा उनके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के पदनाम एवं टेलीफोन/मोबाईल नम्बर सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर को शीघ्र प्रेषित करावें जिससे कि उपरोक्त योजना के उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

संलग्न : लीगल सर्विसेज टू सिनियर सिटीजन्स स्कीम, 2016 की प्रति।

(ओ.पी.मीना)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।

1. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
2. चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग।
3. समस्त जिला कलक्टरर्स मार्फत कार्मिक विभाग।

(ओ.पी.मीना)
मुख्य सचिव

नालसा वरिष्ठ नागरिक स्कीम के कियान्वयन हेतु पदनामित विधिक सेवा अधिकारी की जिलेवार सूची

क. सं.	जिले का नाम	मुख्यालय/ तालुका	विधिक सेवा अधिकारी नाम	मोबाईल नम्बर
		थानागाजी	श्री भागीरथ सैनी	9829167449
			श्री संदीप कुमार शर्मा	8003649050
			श्री ख्यालीराम गुर्जर	9414641503
		मुण्डावर	श्री जगन्नाथ यादव	9414792256
			श्री विकम यादव	9413633617
			श्री बस्तीराम यादव	9928822423
3	बालोत्तरा	**मुख्यालय**	श्री कैलाशचन्द माहेश्वरी	9460919333
			श्री ओमसिंह राजपुरोहित	9783229569
			श्री प्रेमसिंह	9784679911
		बाडमेर	श्री सुखराज प्रजापत	9414383623
			श्री दुर्गाराम पूनियाँ	9414493219
			श्री राणाराम गौड	–
		सिवाना	श्री मदनदास रामावत	9829876742
			श्री पूनमचन्द रामदेव	9414633754
			श्री लादाराम परमार	9983455113
4	बांरा	**मुख्यालय**	श्री हरिनारायण सिंह	9414257260
			श्री अशोक शर्मा	9414331316
			श्री राजेश कुमार गुप्ता	9460678581
		छबडा	श्री देवेन्द्र मेहता	9460227503
			श्री दिग्विजय सिंह	9784702210
			श्री राजेश लोधा	9950807747
		छिपाबडौद	श्री दिनेशचन्द शुक्ला	9461349555
			श्री ललित कुमार शर्मा	9887758965
			श्री कुंजबिहारी नागर	9829494784
		अटरू	श्री कृष्णमुरारी सेन	9829717650
			श्री अमर सिंह कुशवाह	9928788086
			श्री ओम सिंह राठौड	9214830775
		शाहबाद	श्री अरविन्द कुमार वर्मा	9982146490
			श्री योगेश्वर प्रसाद नामदेव	8696532930
			श्री अजय कुमार अग्रवाल	9772944368
		अन्ता	श्री जाकिर अली खान	9414662086
			श्री मुकेश कुमार सुमन	9636254525
			श्री मंजूर हसन खान	9887802623
		मांगरोल	श्री चन्द्रप्रकाश पारेता	9460679064
			श्री हरिओम जाटव	9928286165
			श्री बुद्धीप्रकाश मालव	9950789404
		किशनगंज	श्री पौरस सिंह	9414331550
			श्री पुष्पेन्द्र सिंह राजावत	9414558188
			श्री रविन्द्र सिंह हाडा	9928862402
5	बांसवाडा	**मुख्यालय**	श्री रामकृष्ण भावसार	9462939362
			श्री उमेश दोसी	9413215828
			श्री मो. ताहिर सिलावट	9414676272
		कुशलगढ	श्री जयदीप सिंह राणावत	9610603110
			श्री नाजीर खान पठान	9828516613
			श्री दिलीप सेन	9610307332
		घाटोल	श्री गणेशलाल अहारी	7627026820
			श्री भुपेन्द्र सिंह चन्द्रावत	9783841614
			श्री नीरज कुमार जैन	9928184405
		बागीदौरा	श्री रतनलाल भेदी	9983495885
			श्री प्रदीप दीक्षित	9413018725

वरिष्ठ नागरिक स्कीम के तहत् पदनामित विधिक सेवा अधिकारी की जिलेवार संकलित सूचना

क. सं.	जिले का नाम	मुख्यालय / तालुका	विधिक सेवा अधिकारी	
			नाम	मोबाईल नम्बर
			श्री फरीद खान	8290359339
		गढी	श्रीमती शांता डामोर	9950621080
			श्री लखन कटारा	9460322200
			श्री जगदीश सिंह	9636838353
6	भरतपुर	मुख्यालय	श्री मनहर सिंह	9413314363
			श्री संतोषी लाल गर्ग	9828854130
			श्री राकेश सिंह	9413130435
		डीग	श्री प्रवीण चौधरी	9982740144
			श्री देवेन्द्र सिंह	9529904400
			श्री आनन्द प्रकाश	9461693638
		नगर	श्री दिनेश चन्द भूराका	8963050300
			श्री हकमुद्दीन खॉ	8955261583
			श्री प्रताप गुर्जर	8963048806
		कामां	श्री परशराम यादव	9983668855
			श्री विनोद कुमार शर्मा	9784221055
			श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	9414887693
		रूपवास	श्री रमेश चन्द शाक्य	9983041206
			श्री रनवीर सिंह	9610051120
			श्री चन्द्रकान्त कटारा	9636308088
		नदबई	श्री अमितराज सिंह	9414860076
			श्री ज्वालादत्त	8058766964
			श्री देवकीनन्दन शर्मा	9950502571
		बयाना	श्री संजीव शर्मा	8104273877
			श्री यज्ञप्रिय शर्मा	9144485634
			श्री नरेश गौड	9414695369
		वैर	श्री प्रवीण मिश्रा	9887117442
			श्री पूरन चन्द धाकड	9829676601
			श्री राजकुमार नगायच	8209548140
7	भीलवाडा	मुख्यालय	श्री दुर्गा शंकर कोली	9829187431
			कोमल सोनी	9413867210
			श्री सुनील कुमार पारीक	9829577307
		आसीन्द	श्री विक्रम सिंह चुण्डावत	9829184347
			श्री हरिशंकर शर्मा	9982542460
			श्री नबी बक्ष पठान	9929214651
		बिजौलिया	श्री ब्रह्मप्रकाश तिवाडी	9414353428
			श्री सुनील कुमार जोशी	8104289934
			श्री सुनील कुमार बाकलीवाल	–
		गंगापुर	श्री दिनेश कुमार क्षोत्रिय	9414740445
			श्री अरविन्द चौधरी	9414740222
			श्री रितेश सुराणा	9875244315
		गुलाबपुरा	श्री प्रदीप राका	9414306295
			श्री भानूप्रताप कैलानी	9414708991
			सुश्री खुशबू मिश्रा	8239752755
		जहाजपुर	श्री जाकिर हुसैन	9460195965
			श्री बाबूलाल मीणा	9460738323
			श्री महावीर शर्मा	9829391771
		कोटडी	श्री वासुदेव पंचोली	9414573766
			श्री दिनेश जैन	9352785804
			श्री इन्द्रपाल सिंह राजावत	9829124915
		माण्डल	श्री गोपाल सिंह राठौड	9460354127

वरिष्ठ नागरिक स्कीम के तहत् पदनामित विधिक सेवा अधिकारी की जिलेवार संकलित सूचना

क्र. सं.	जिले का नाम	मुख्यालय / तालुका	विधिक सेवा अधिकारी	
			नाम	मोबाईल नम्बर
		राजगढ	सुश्री मधु अग्रवाल	9413449821
			श्री बलवानसिंह शर्मा	9983652931
			श्री पुरूषोत्तमलाल माली	9413475949
		रतनगढ	श्री भीवाराम माहिच	7597418575
			श्री मनीष कुमार शर्मा	9461326329
			श्री योगेश कसेरा	8890391724
		सुजानगढ	श्री विजेन्द्रसिंह	99285615
			श्री बुद्धिप्रकाश प्रजापत	9414395111
			श्री हरीश गुलेरिया	9414990757
		तारानगर	श्री अरूण सिहाग	9828829288
			श्री पवन कुमार योगी	9784854997
			श्री साजिद	9828589039
		सरदारशहर	श्री सोहनलाल थालोड	9460125777
			श्री विजेन्द्र कुमार शर्मा	9414402597
			श्री कुन्दनसिंह	9314540412
11	चित्तौडगढ	मुख्यालय	श्री नरेन्द्र सिंह पंवार	9829245618
			श्रीमती सीमा भारती गोस्वामी	9413950777
			श्री सुनील शर्मा	9929824358
		निम्बाहेडा	श्री श्यामदास बैरागी	8890875350
			श्री सत्यमेव सेठिया	9414395573
			श्री घनश्याम शर्मा	9829545481
		बेंगू	श्री सिद्धांत बीलू	9414700458
			श्री नीलेश चेचानी	9413180810
			श्री शैलेन्द्र शर्मा	9610391261
		बडीसादडी	श्री अविनाश कुमार आमेटा	9001008482
			श्री हेमन्तसिंह राठौड	9928713138
			श्री जमनालाल जणवा	9929384270
		कपासन	श्री पवन कुमार शर्मा	9829678819
			श्री नन्दकिशोर भील (चौहान)	9414732773
			श्री कन्हैयालाल माली	9829221366
		रावतभाटा	श्री अनिल शर्मा	9414745495
			श्री प्रदीप बिल्लु	9414331017
			श्री लालचन्द जायसवाल	9414444030
		गंगरार	श्री गोपाल बिलवाल	9413968273
			श्री नारायण जोशी	7976908625
			श्री कमलेश शर्मा	9829670471
		डूंगला	श्री कमलेशनाथ योगी	9929347619
			श्री महेश कुमार व्यास	9929284418
			श्री दुर्गेश जोशी	9982017317
		राशमी	श्री रोशनलाल शर्मा	9413245334
			श्री विनोद आचार्य	9982206231
			श्री गोविंद व्यास	9928616951
		मण्डफिया	श्री सत्यनारायण तेली	9649468821
			श्री प्रशान्त जैन	978569268
			श्री उदयलाल गाडरी	9001112065
		भदेसर	श्री नरपत खटीक	8619606740
			श्री मदन खटीक	9460363030
			श्री बद्रीलाल रेगर	9982940324
12	दौसा	मुख्यालय	श्री सत्यनारायण शर्मा	9462605520
			श्री राजेन्द्र जैन द्वितीय	9414271231

वरिष्ठ नागरिक स्कीम के तहत् पदनामित विधिक सेवा अधिकारी की जिलेवार संकलित सूचना

क. सं.	जिले का नाम	मुख्यालय/ तालुका	विधिक सेवा अधिकारी	
			नाम	मोबाईल नम्बर
			श्री धर्मपाल बिश्नोई	9414515514
			श्री परीक्षित बिश्नोई	9414505091
		अनूपगढ	श्री रमेश कुमार सारस्वत	9414480402
			श्री गुरबक्श सिंह	9829217413
			श्री राकेश कुमार गोदारा	9414989766
		श्रीविजयनगर	श्री हितेन्द्र नारायण शर्मा	9829824598
			श्री राकेश वर्मा	9414536140
			श्रीमती बलविन्द्र कवातडा	9983838140
		श्रीकरणपुर	श्री जसविन्द्र सिंह चीमा	9772041177
			श्री संजय गुप्ता	9414433940
			श्री इंद्रजीत सिंह	9413777030
16	हनुमानगढ	मुख्यालय	श्री शहजाद हुसैन	9460630943
			श्री मनजीत सिंह	8560858547
			श्री विनोद कुमार	9414091119
		नोहर	श्री पवन कुमार शर्मा	9413713335
			श्री रोहिताश सिहाग	9784241186
			श्री मुरारीलाल चौमवाल	9414630558
		भादरा	श्री मदनलाल सोनी	9982708750
			श्री विनोद कुमार सिंगाठिया	9982405553
			श्री विक्रम यादव	8094347060
		संगरिया	श्री संदीप गोदारा	9461107825
			श्री रविन्द्र कुमार	9460488209
			श्री जितेन्द्र कुमार लोहरा	9783159219
		रावतसर	श्री मांगीलाल शर्मा	9680114251
			श्री अर्जुनलाल वर्मा	9928268077
			श्री हनुमान शर्मा	9829451692
		पीलीबंगा	श्री सुरेश भुंवाल	9414579882
			श्री अशोक चालिया	9784957101
			श्री कैलाश सिंह	9460119600
		टिब्बी	श्री रविन्द्र शर्मा	9414510522
			श्री हरविन्द्र सिंह	9414637365
			श्री परमजीत सिंह	9413742815
17	जयपुर महानगर	मुख्यालय	श्रीमती प्रभा अग्रवाल	9829676991
			श्री अरविन्द कुमार यादव	8619985256
			श्री उमेश प्रकाश त्रिपाठी	9414326542
18	जयपुर जिला	मुख्यालय	श्रीमती प्रभा अग्रवाल	9829676991
			श्री रमेश कुमार शर्मा	9829108597
			श्रीमती वंदना मथुरिया	9694843743
		कोटपूतली	श्री रामकिशन शर्मा	
			श्री राजकुमार	
			श्री अनिल कुमार गौड	
		सांभरलेक	श्री अजय सिंह	9261460489
			श्री गौरव उपाध्याय	9214988432
			श्री शोहरत अली	9214478462
		चौमू	श्री केशव शर्मा	9929764407
			श्री शिवराजसिंह	9610107274
			श्री विजय कुमार शर्मा	9887071057
		दूदू	श्री इमरान खान	7742350151

वरिष्ठ नागरिक स्कीम के तहत् पदनामित विधिक सेवा अधिकारी की जिलेवार संकलित सूचना

क. सं.	जिले का नाम	मुख्यालय / तालुका	विधिक सेवा अधिकारी	
			नाम	मोबाईल नम्बर
		पिलानी	श्री कुलभान पूनिया	9887435838
			श्री गजानन्द	9602442519
			सुश्री बबीता कुमारी	9587917372
		उदयपुरवाटी	श्री कुरडा राम सैनी	9983565506
			श्री जगदीश प्रसाद सैनी	7597408321
			श्री लक्ष्मण सिंह शेखावत	9928601366
		खेतडी	श्री रविन्द्र सिंह	9468676443
			श्री गणेश कुमार सुरोलिया	9950439367
			श्री बिशन सिंह सैनी	9982167037
		चिडावा	श्री सुशील कुमार	9887321478
			श्री अवधेश कुमार	9414285339
			श्री विजय कुमार डाबला	8104635050
		नवलगढ	श्री राकेश कुमार सारस्वत	9636334311
			श्रीमती स्नेहलता वर्मा	9783679849
			श्री विजेन्द्र सिंह	9660271895
23	जोधपुर मेट्रो	मुख्यालय	सुश्री रंजना सिंह मेडतिया	9351338080
			श्री पवनप्रकाश शर्मा	9983342281
			श्री लादूराम विश्नोई	9414496078
24	जोधपुर जिला	मुख्यालय	श्री अखिल कुमार गुप्ता	9414301553
			श्री ललित सोलंकी	9660959519
			श्री किशनलाल गेंवा	9352683065
		फलौदी	श्री गजेन्द्र छंगाणी	9983227057
			श्री भवानीशंकर चाण्डा	9414562111
			श्री अनिल जोशी	9309004403
		ओसियां	श्री धनाराम विश्नोई	9799263057
			श्री पर्वतसिंह भाटी	9414494728
			श्री अशोक पंवार	9602313304
		पीपाड	श्री बक्तावर सिंह	9414498737
			श्री मंसूर अली	9413428010
			श्री सोहनलाल चौधरी	9413428010
		बालेसर	श्री नरपतसिंह भाटी	9414561054
			श्री हनवंतसिंह भाटी	9414670812
			श्री विशनाराम सिद्धप	9950980275
25	कोटा	मुख्यालय	श्री आशीष भारद्वाज	–
			श्री देवेन्द्र मीणा	–
			श्रीमती ऋचा शुक्ला	–
		रामगंजमण्डी	श्री श्याम बिहारी माहेश्वरी	–
			श्री शोभाराम अहीर	–
			श्री रामगोपाल कुल्मी	–
		सांगोद	श्री मोहन लाल पोटर	–
			श्री धर्मराज नायक	–
			श्री उदल सिंह मीणा	–
		कनवास	श्री घनश्याम शर्मा	–
			श्री विनोद कुमार गौतम	–
			श्री रेवतीरमण नागर	–
		दीगोद	श्री सुरेन्द्र दाधीच	–
			श्री कौशल किशोर वैष्णव	–
			श्री जीतेन्द्र शर्मा	–
		इटावा	श्री नंद किशोर पारेता	–
			श्री विकास पारेता	–

वरिष्ठ नागरिक स्कीम के तहत् पदनामित विधिक सेवा अधिकारी की जिलेवार संकलित सूचना

क्र. सं.	जिले का नाम	मुख्यालय / तालुका	विधिक सेवा अधिकारी	
			नाम	मोबाईल नम्बर
			श्री पंकज कुमार त्रिवेदी	9829462546
			श्री देवेन्द्र कुमार व्यास	9460130011
		जैतारण	श्री प्रद्युम्न कुमार श्रीमाली	9251916696
			श्री शंकरलाल कुमावत	9828663885
		सुमेरपुर	श्री भरत के राठौड	9414449814
			श्री अमृतलाल चौधरी	9829497987
			श्रीमती गीता राव	9983732051
		देसूरी	श्री प्रवीण रावल	9660218615
			श्री दिव्य प्रकाश त्रिवेदी	9001171422
			श्री छगन गेहलोत	9829538809
		बर	श्री मानवेन्द्र सिंह उदावत	9414590709
		मारवाड जंक्शन	श्री निसार मोहम्मद पठान	9460902409
			श्री सुरेन्द्रसिंह राठौड	9414816105
			श्री महेन्द्रसिंह जोधा	9461153029
29	प्रतापगढ़	**मुख्यालय**	श्री ओ.पी.बैरागी	9782067010
			श्री अमित जैन	9929073507
			श्री अरूण पण्डया	9414471462
		धरियावद	श्री सैयद मोहम्मद इरफान	9929843483
			श्री करणसिंह कोठारी	9413022151
			श्री छत्रपालसिंह राणावत	9929800193
		छोटीसादडी	श्री मुबारिक हुसैन	9829981401
			श्री चन्द्रशेखर यादव	9461464296
			श्री कमलेश सुथार	9413459842
30	राजसमंद	**मुख्यालय**	श्री तरूण कुमार दशोरा	9829508349
			श्री हेमन्त कुमार आमेटा	8003526087
			श्री उदयलाल कुमावत	9414472354
		रेलमगरा	श्री मुरलीधर दशोरा	9413262658
			श्री शांतिलाल जाट	9414685823
			श्री संजय कुमार मेहता	9694816180
		आमेट	श्री शराफत हुसैन	9414659670
			श्री डालचंद जाट	9414659361
			श्री समुन्द्रसिंह चुंडावत	9414264470
		नाथद्वारा	श्री संजय माण्डोत	9828255912
			श्री पूर्णाशंकर पालीवाल	9950948063
			श्री सूर्यप्रकाश सेन	9928384306
		देवगढ	श्री शान्ती लाल जैन	9414785861
			श्री बलवीर सिंह राजपूत	9610386155
			श्री इन्द्रमल कंसारा	9414785730
		भीम	श्री गोपाल सिंह	9460831083
			श्री भगवान सिंह	9784243580
			श्री नैना सिंह	9983141121
		कुम्भलगढ	श्री लालसिंह परमार	9414234169
			श्री केसरलाल आमेटा	9772337470
			श्री अशोक कुमार सोनी	9828438747
31	सवाईमाधोपुर	**मुख्यालय**	श्री राजेन्द्र यादव	9414287461
			श्री अरविन्द कुमार वैष्णव	9462320912
			श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा	9414910755
		गंगापुर सिटी	श्री समीर खान	9414401613
			श्री रवि कुमार शर्मा	9414394578
			श्री छूट्टन लाल बैरवा	9351091104

वरिष्ठ नागरिक स्कीम के तहत् पदनामित विधिक सेवा अधिकारी की जिलेवार संकलित सूचना

क्र. सं.	जिले का नाम	मुख्यालय / तालुका	विधिक सेवा अधिकारी	
			नाम	मोबाईल नम्बर
			श्री राजेश सिसोदिया	9829119106
		मालपुरा	श्री अनीश कुमार जैन	9001688980
			श्री गोवर्धन सिंह	9982503626
			श्री प्रियंक जैन	8696202149
		निवाई	श्री कौशल किशोर जाट	9413800521
			श्री रामदयाल शर्मा	9829891198
			श्री नारायण सिंह	9828450568
		उनियारा	श्री श्रीराम गोयल	9882168808
			श्री ओमप्रकाश सैनी	992964125
			श्री दिनेश कुमार गोयल	7665702021
		देवली	श्री बंशीलाल कलवार	9413860516
			श्री दुर्गालाल मीणा	9414945291
			श्री ललित चौहान	9414241037
		टोडारायसिंह	श्री शंकरलाल जाट	9829603864
			श्री हेमराज धाकड	9214576500
			श्री पारसचंद जैन	9214861957
35	उदयपुर	मुख्यालय	श्री रामलाल मेघवाल	9799696076
			श्री श्वेता जैन	9950769738
			श्री अपर्णा सिंह चुण्डावत	8107054495
		खैरवाडा	श्री बलवीर सिंह चौहान	8107331086
			श्रीमती सुमित्रा मीणा	9166057648
			श्रीमती अनिता मीणा	9636913370
		सलूम्बर	श्री गेबीलाल मेहता	9414567579
			श्री सुरेश पुरी गोस्वामी	9414758692
			श्री राकेश प्रजापत	9414759266
		मावली	श्री घनश्याम पालीवाल	9799653587
			श्री कमलेश जैन	9352512790
			श्री पंकज चौधरी	9214524469
		वल्लभनगर	श्री शंकर लाल डांगी	9414621045
			श्री शरीफ मोहम्मद सिंधी	9602717886
			श्री पुष्पेन्द्र सिंह राणावत	9460030410
		कानोड	श्री गजेन्द्र सिंह गौड	9602346105
			श्री मुकेश चौबीसा	9414296715
			श्री प्रफुल्ल कुमार जैन	9414684110
		झाडोल	श्री तापस मेघवाल	9783440849
			श्री राजेश कलासुआ	8890274117
			श्री सुनील कुमार भजात	9636848591
		गोगुन्दा	श्री नरेन्द्र सिंह झाला	9414471542
			श्री राजेश तेली	8107481646
			श्री महेन्द्र पालीवाल	9602170467
		सराडा	श्री मोगाराम मीणा	9784121350
			श्री शंकर लाल मीणा	9982060633
			श्री प्रवीण पटेल	8107039818
		भीण्डर	श्री सुरेन्द्र कुमार चौबीसा	9460311764
			श्री प्रकाश चन्द्र चौधरी	8107377601
			श्री लक्ष्मणगिरी गोस्वामी	9828260877
		कोटडा	श्री एम.एच.अब्बासी	9571079695
			श्री दिनेश कुमार कसौटा	8107103350
			श्री हिम्मत लाल तावड	9610690081